बैंक और एनबीए**फ**सी/एचए**फ**सी

द्वारा को-लेंडिंग पर नीति

2023-24

<u>अनुक्रमणिका</u>

पैरा	विषय	पृष्ठ सं.
भाग ए	**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हेतु बैंक और एनबीएफसी/एचएफसी द्वारा को-लेंडिंग पर नीति**	
1	पृष्ठभूमि	1
2	समीक्षा/वैधता और नीति का स्वामित्व	2
3	को-लेंडिंग की आवश्यकता और संबंधित लाभ	3
4	को-लेंडिंग हेतु पात्र इकाइयां	3
5	विचार किए जाने वाले मानदंड	6
6	वित्तीय मानदंड	6
7	सीएलएम के तहत ऋण	7
8	ग्राहक संबंधित मुद्दे	7
9	जोखिम एवं रिवार्ड्स की हिस्सेदारी	8
10	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की स्थिति	9
11	मार्जिन	9
12	सामान्य खाता / प्रबंधन सूचना प्रणाली	9
13	अन्य परिचालन पहलू	10
14	ऋण के अंतिम उपयोग की निगरानी	11
15	निगरानी एवं वसूली	11
16	एक्सपोजर सीमा	12
17	शक्तियों का प्रत्यायोजन	12
18	निलंब खाते के माध्यम से संग्रहण एवं वसूली	13
19	एनपीए प्रबंधन	13
20	केवाईसी एवं खाता खोलने पर सामान्य दिशानिर्देश	14
21	को-लेंडिंग हेतु केंद्रीकृत प्रसंस्करण कक्ष	14
22	सांकेतिक मानक परिचालन प्रक्रियाएं	17
भाग बी	**गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हेतु बैंक और एनबीएफसी/एचएफसी द्वारा को-लेंडिंग पर नीति**	
23	गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हेतु बैंक और एनबीएफसी/एचएफसी द्वारा को-लेंडिंग पर दिशानिर्देश	29
परिशिष्ट		
I	को लेंडिंग मॉडल पर भारिबैं परिपत्र	
II	एनबीएफसी के चयन हेतु आवेदन	
III	आउटसोर्सिंग पर भारिबैं परिपत्र	
IV	केवाईसी पर भारिबैं परिपत्र	
V	सीधे समनुदेशन पर भारिबैं परिपत्र	
VI	निधियों का अंतिम उपयोग हेतु प्रमाणपत्र	
VII	को-लेंडिंग समझौते हेतु एनबीएफसी/एचएफसी के साथ टाई-अप	
VIII	गोपनीयता एवं अप्रकटीकरण करार	

संक्षिप्ताक्षर की सूची

एएमएल	धन-शोधन निवारण
एपीआई	एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस
बीपीएस	बेसिस पॉइंट्स
सीए	चार्टर्ड एकाउंटेंट
सीएसी	ऋण अनुमोदन समिति
सीएएसए	चालू खाता बचत खाता
सीबीएस	कोर बैंकिंग समाधान
सीईपीसी	ग्राहक शिक्षा एवं संरक्षण कक्ष
सीईआरएसएआई	सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्यूरिटाइजेशन एसेट रिकन्स्ट्रकशन एंड सिक्यूरिटी इंटरेस्ट
सीजीटीएमएसई	सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास
सीजीएम	मुख्य महाप्रबंधक
सीआईबीआईएल	साख सूचना ब्यूरो (भारतीय) लिमिटेड
सीआईसी	साख सूचना कंपनी
सीएलएम	को-लेंडिंग मॉडल
सीएमआरडी	ऋण अनुश्रवण एवं पुनर्गठन विभाग
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
सीआरएआर	जोखिम भारित आस्ति अनुपात हेतु पूंजी
सीआरडी	ऋण वसूली विभाग
सीआरएमसी	ऋण जोखिम प्रबंधन समिति
सीआरओ	मुख्य जोखिम अधिकारी
सीएसवी	कोमा-सेपरेटेड वैल्यू
डीसीए	संवितरण योगदान लेखा
डीआईटी	सूचना प्रोद्योगिकी विभाग
एफ़डीए	अंतिम संवितरण लेखा
एफ़जीएम	क्षेत्र महाप्रबंधक
एफ़जीएमओ	क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय
एफ़आईजी	वित्तीय संस्थान समूह
एफ़ओएस	फीट ऑन स्ट्रीट
जीएम	महाप्रबंधक
जीएसटी	माल और सेवा कर
एचएफ़सी	आवास वित्त कंपनी

आईबीए	भारतीय बैंक संघ
आईएमपीएस	तत्काल भुगतान सेवा
आईपीओ	प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव
केवाईसी	अपने ग्राहक को जानिए
एलएएस	लेंडिंग ऑटोमेशन सोल्यूशंस
एमडी एवं सीईओ	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एनबीएफ़सी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनईएफ़टी	राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक निधि अंतरण
एनओसी	अनापत्ति प्रमाणपत्र
एनपीए	अनर्जक आस्ति
ओडी	ओवरड्राफ्ट
पीएमएल	धन शोधन निवारण
आरएबीडी	ग्रामीण और कृषि कारोबार विभाग
आरबीडी	खुदरा बैंकिंग विभाग
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरएच	क्षेत्र प्रमुख
आरएमडी	जोखिम प्रबंधन विभाग
आरओसी	कंपनी रजिस्ट्रार
आरओआई	ब्याज दर
आरटीजीएस	तत्काल सकल निपटान
एसएमएस	शॉर्ट मैसेज सर्विस
टीडीएस	स्त्रोत पर कर कटौती
यूएटी	उपयोगकर्ता स्वीकृति टेस्टिंग
यूपीआई	यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस
एक्सएमएल	एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज

भाग ए: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हेतु बैंक और एनबीएफसी/एचएफसी द्वारा को-लेंडिंग पर नीति

1. पृष्ठभूमि -

1.1. भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिसूचना आरबीआई/2018-19/49 एफआईडीडी.सीओ.प्लान.बीसी.08/04.09.01/2018-19 दिनांक 21 सितंबर, 2018 के जरिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हेतु उधार के लिए बैंक और एनबीएफसी द्वारा ऋण की सह-उत्पत्ति पर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. यह परिकल्पना की गई थी कि बैंकों से कम लागत वाली निधियों और एनबीएफसी के परिचालन की कम लागत का लाभ मिश्रित दर/भारित औसत दर पद्धति को अपनाने के माध्यम से उधारकर्ता को दिया जाएगा. यह व्यवस्था मुख्य रूप से जोखिम एवं रिवार्ड्स की हिस्सेदारी करने के साथ-साथ दोनों उधारदाताओं द्वारा सुविधा स्तर पर ऋण के संयुक्त योगदान को शामिल करने के लिए की गई थी.

1.2. हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर और सहयोगी प्रयास में बैंकों और एनबीएफसी/एचएफसी के संबंधित तुलनात्मक लाभों का बेहतर लाभ उठाने के लिए, आरबीआई ने ऋण देने वाली संस्थाओं को अधिक परिचालन लचीलापन प्रदान करने का निर्णय लिया है, साथ ही उन्हें आउटसोर्सिंग, केवाईसी, आदि पर नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप होने की आवश्यकता है.

1.3. तदनुसार, आरबीआई ने इस योजना को संशोधित किया है और अधिसूचना आरबीआई/2020-21/63 एफआईडीडी.सीओ.प्लान.बीसी.सं.8/04.09.01/2020-21 दिनांक 05.11.2020 के जरिए **"को-लेंडिंग मॉडल" (सीएलएम)** के रूप में नया नाम दिया है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के सेवारहित एवं अल्पसेवित क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह में सुधार करना और बैंकों और एनबीएफसी/एचएफसी की अधिक पहुंच से धन की कम लागत को ध्यान में रखते हुए अंतिम लाभार्थी को कम कीमत पर निधि उपलब्ध कराना है. भारतीय रिजर्व बैंक का परिपत्र अनुबंध-I के रूप में संलग्न है.

1.4. यह परिपत्र पिछले परिपत्र आरबीआई/2018-19/49 एफ़आईडीडी.सीओ.प्लान.बीसी.08/04.09.01/ 2018-19 दिनांक 21 सितंबर, 2018 को अधिक्रमित करता है और पिछले परिपत्र के संदर्भ में बकाया किसी भी ऋण को उनकी चुकौती या परिपक्वता तक, जो भी पहले हो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत वर्गीकृत किया जाना जारी रहेगा.

1.5. आरबीआई के निर्देश के अनुसार, बैंक सीएलएम में प्रविष्ट करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करेगा और अनुमोदित नीति को बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा. अनुमोदित नीति के आधार पर, दो भागीदार संस्थानों (बैंक और एनबीएफसी/एचएफसी) के बीच एक मास्टर समझौता किया जाएगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यवस्था के नियम और शर्तें, भागीदार संस्थानों के चयन के लिए मानदंड, विशिष्ट उत्पाद

कार्यक्षेत्र और परिचालन के क्षेत्र, जिम्मेदारियों के पृथक्करण के साथ-साथ ग्राहक इंटरफ़ेस और संरक्षण मुद्दों से संबंधित प्रावधानों सहित शामिल होंगे.

1.6. को-लेंडिंग दिशानिर्देशों के संदर्भ में, बैंक के पास को-लेंडिंग तंत्र के तहत दो विकल्प निम्नानुसार हैं:

विकल्प 1: एनबीएफसी द्वारा सृजित और मंजूर अपनी बही में वैयक्तिक ऋणों के अपने हिस्से को अनिवार्य रूप से लेने के लिए बैंक की ओर से पूर्व अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता होगी. इसके लिए पूर्व डिलिजेंस प्रक्रिया/मापदंडों को पहले से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जिसे मास्टर समझौते में रिकॉर्ड किया जाएगा. इस विकल्प 1 के तहत प्रक्रिया को रुल इंजन (तंत्र जिसमें मैन्युअल हस्तक्षेप शामिल नहीं है) के माध्यम से की जाएगी.

विकल्प 2: एनबीएफसी द्वारा उत्पन्न और मंजूर ऋणों के अपने हिस्से को लेने या अस्वीकार करने के लिए बैंक अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है, जो बैंक की ड्यू डिलिजेंस के अधीन है. यदि बैंक अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करता है, तो व्यवस्था प्रत्यक्ष समनुदेशन (डीए) लेनदेन के समान होगी, जिसके लिए आरबीआई के को-लेंडिंग मॉडल दिशानिर्देशों के अनुसार, न्यूनतम होल्डिंग अवधि (एमएचपी) लागू नहीं होगी.

सभी ऋण उत्पाद जो डिजिटल या भौतिक सहायता मोड के माध्यम से उचित ड्यू डिलिजेंस का प्रयोग करते हुए संसाधित किए जाते हैं, विवेकाधीन विकल्प के तहत कवर किए जाएंगे. ड्यू डिलिजेंस के उद्देश्य हेतु, ऐसे ऋणों के लिए उत्पाद मापदंडों को पहले से स्पष्ट किया जाएगा, मास्टर समझौते में रिकॉर्ड किया जाएगा और सीधा समनुदेशन (डीए) रूट के तहत कवर किया जाएगा.

1.7. सीएलएम के संदर्भ में, बैंकों को पूर्व समझौते के आधार पर सभी पंजीकृत एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के साथ को-लेंड प्रदान करने की अनुमति है. को-लेंडिंग बैंक अपनी बहियों में दुतरफा आधार पर वैयक्तिक ऋणों का अपना शेयर लेगा. हालांकि, एनबीएफसी/एचएफसी को अपनी पुस्तकों में व्यक्तिगत ऋणों का न्यूनतम 20% हिस्सा बनाए रखना आवश्यक होगा.

1.8. बैंक निर्दिष्ट शर्तों का पालन करते हुए सीएलएम में शामिल होने के दौरान ऋण के अपने हिस्से के संबंध में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की स्थिति का दावा कर सकते हैं.

1.9. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, हम बैंक और एनबीएफसी/एचएफसी द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को को-लेंडिंग पर नीति तैयार करने का प्रस्ताव करते हैं और विस्तृत योजना दिशानिर्देश निम्नानुसार है

2. नीति की समीक्षा/वैधता और स्वामित्व

2.1. इस दस्तावेज़ को "प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को बैंक और एनबीएफसी/एचएफसी द्वारा को-लेंडिंग पर नीति" कहा जाता है, जो को-लेंडिंग लेनदेन में शामिल नीति एवं प्रक्रिया को संहिताबद्ध करता है. यह नीति आईसी क्र. 1872-2020 दिनांक 05.03.2020 के जरिए जारी सह-उत्पत्ति पर पूर्व नीति का अधिक्रमण करती है. हालांकि, उपर्युक्त पॉलिसी के संदर्भ में किया गया कोई भी एक्सपोजर इसके बंद होने तक जारी रहेगा.

2.2. यह नीति आज तक जारी किए गए सभी आरबीआई और मौजूदा नियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन में बनाई गई है. इस नीति में उल्लिखित दिशानिर्देश सभी घरेलू शाखाओं/कार्यालयों और इसके संचालन के लिए लागू हैं.

2.3. **वैधता/स्वामित्व:** को-लेंडिंग से संबंधित नीति आरबीआई के निर्देश के अनुपालन में बनाई गई है. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने को बढ़ावा देने के लिए यह एक "विशिष्ट उत्पाद" है. भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)/आईबीए/अन्य वैधानिक और नियामक निकायों द्वारा समय-समय पर सूचित किए जाने वाले मौजूदा दिशानिर्देशों / निर्देशों / निर्देशों में परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए नीति को संशोधित किया जाएगा, जिसके लिए अल्प सूचना पर कार्रवाई की जा सकती है.

2.4. इसके लिए इन उत्पादों में विनियामक/सांविधिक परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए, सीआरएमसी इसे अनुमोदित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा और सूचना के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा. इस नीति के संबंध में किसी भी परिचालन भाग को संबंधित ऋण वर्टिकल द्वारा निपटाया जाएगा, जिनमें आस्ति का लेनदेन किया जा रहा है.

2.5. यह नीति जारी होने की तारीख से 31-मार्च-2024 तक वैध होगी और इसे प्रत्येक वर्ष मार्च के अंत तक नवीनीकृत किया जाना चाहिए. एमडी और सीईओ के विशिष्ट अनुमोदन के साथ नीति की निरंतरता को 3 महीने की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है.

2.6. इस नीति के किसी भी पहलू की किसी भी स्थिति में प्रयोज्यता के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, ऋण नीति और अनुसंधान, जोखिम प्रबंधन विभाग, केंद्रीय कार्यालय विशिष्ट खंड या अन्यथा की व्याख्या करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे.

3. को-लेंडिंग की आवश्यकता और संबंधित लाभ:

3.1. एनबीएफसी बैंक से अपवर्जित ग्राहकों की विविध वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करके देश में समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. भारत के बड़े असंगठित बाजार प्रतिभूति-रहित एवं साथ ही प्रतिभूत ऋण की भारी मांग रहती है. भौगोलिक क्षेत्रों में जहां बैंकों की पर्याप्त पहुंच नहीं है, एनबीएफसी इस अंतर को पूरा करते हैं. जमा संग्रहण एवं ऋण विस्तार में उनके योगदान पर शायद ही अधिक जोर दिया जाता है. जहां ऋण अंतराल है, वहां निधीयन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए, एनबीएफसी की मुख्य ताकत उनके मजबूत ग्राहक संबंध, बड़े "फीट ऑन स्ट्रीट" (एफओएस) क्षेत्रीय गतिशीलता की कार्यबल समझ, विकसित वसूली प्रणाली, परिचालन की कम लागत, व्यक्तिगत सेवाएं और तेजी से निर्णय लेना निहित है.

3.2. आमतौर पर, एनबीएफसी बैंक द्वारा उपेक्षित क्षेत्रों; गैर-वेतनभोगी पेशेवर, वैयक्तिक, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर आदि पर ध्यान केंद्रित करते हैं. ये संस्थान पर्याप्त आर्थिक गतिविधि सृजित करने में सहायक हैं और इसलिए इस क्षेत्र में रोजगार है.

3.3. आज के समय में फिनटेक सहयोग के साथ एनबीएफसी लोन ऋण डिलीवरी तंत्र बनाने में सक्षम है. उन्होंने नवीन उत्पाद जैसे पुराने वाहनों के वित्तपोषण, छोटे व्यक्तिगत ऋण, तिपहिया वाहनों के वित्तपोषण, आईपीओ वित्तपोषण, टायर एवं ईंधन के लिए वित्तपोषण, एएमसी और बीमा सलाहकार आदि की शुरुआत की है.

3.4. भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत वित्त प्रदान करने के लिए बैंकों के लिए नियामक लक्ष्य निर्धारित किया है. सीएलएम के माध्यम से किया गया कोई भी ऋण बैंक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के

अग्रिमों में जुड़ेगा, इस प्रकार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के वित्त के तहत आने वाली इकाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक नया अवसर प्रदान करेगा.

4. को-लैंडिंग के लिए पात्र संस्थाएं:

4.1. सीएलएम प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी ऋण प्रदान करने हेतु सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, लघु वित्त बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर) और सभी पंजीकृत एनबीएफसी (एचएफसी सहित) पर लागू है. परिशिष्ट-II के अनुसार हमारे बैंक के साथ सीएलएम रखने के इच्छुक एनबीएफसी/एचएफसी से अधिकतम विवरण लेने के लिए एक आवेदन पत्र तैयार किया गया है.

4.2. सीएलएम के संदर्भ में, बैंकों को पूर्व समझौते के आधार पर एचएफसी सहित सभी पंजीकृत एनबीएफसी के साथ सह-ऋण देने की अनुमति है. हालांकि, बैंकों को प्रवर्तक समूह से संबंधित एनबीएफसी/एचएफसी के साथ को-लेंडिंग समझौते में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है.

4.3. मास्टर समझौता बैंक और एनबीएफसी/एचएफसी द्वारा किया जाएगा, सीएलएम को कार्यान्वित करने के लिए या तो बैंक को एनबीएफसी/एचएफसी द्वारा सृजित वैयक्तिक ऋणों के अपने हिस्से को अनिवार्य रूप से अपनी बही में लेने या कुछ ऋण उनके ड्यू डिलिजेंस के अधीन अस्वीकार करने के विवेक को बनाए रखने के लिए प्रदान कर सकते हैं. बैंक बहियों में दुतरफा आधार पर वैयक्तिक ऋणों का हिस्सा लेगा.

ए. यदि समझौते में बैंक की ओर से एनबीएफसी/एचएफसी द्वारा सृजित वैयक्तिक ऋणों के अपने हिस्से को अपनी बहियों में शामिल करने के लिए बैंक की ओर से पूर्व, अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता शामिल है, तो व्यवस्था को आरबीआई/2014-15/497/डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.76/21.04.158/2014-15 दिनांक 11 मार्च, 2015 के जरिए जारी और समय-समय पर अद्यतन जोखिम प्रबंधन पर मौजूदा दिशानिर्देशों और बैंक द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में आचार संहिता का पालन करना चाहिए. विशेष रूप से, भागीदार बैंक और एनबीएफसी/एचएफसी को बैंक द्वारा पूर्व ड्यू डिलिजेंस के लिए उपयुक्त तंत्र स्थापित करना होगा क्योंकि मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत ऋण मंजूरी प्रक्रिया को आउटसोर्स नहीं किया जा सकता है. (आरबीआई परिपत्र परिशिष्ट-III के रूप में संलग्न है).

बी. बैंक को आरबीआई/डीबीआर/2015-16/18 मास्टर निर्देश डीबीआर.एएमएल.बीसी.सं.81/14.01.001/2015-16 दिनांक 25 फरवरी, 2016 के जरिए जारी और समय-समय पर अद्यतन मास्टर दिशानिर्देश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निर्देश, 2016 का भी पालन करना होगा, जो पहले से ही विनियमित संस्थाओं को उनके विकल्प पर, निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, तीसरे पक्ष द्वारा किए गए ग्राहक के ड्यू डिलिजेंस पर भरोसा करने की अनुमति देते हैं. (आरबीआई परिपत्र परिशिष्ट-IV के रूप में संलग्न है).

1. तदनुसार, ऋण/केवाईसी की सोर्सिंग एनबीएफसी द्वारा की जानी है. एनबीएफसी बैंकिंग विनियमन विभाग/ गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग द्वारा निर्धारित संबंधित संगठन में मौजूदा मानदंडों के अनुसार लागू केवाईसी/ धन शोधन निवारण (एएमएल) दिशानिर्देशों का पालन करेगा. आरबीआई के निर्देश के अनुसार (मास्टर दिशानिर्देश डीबीआर.एएमएल.बीसी.सं.81/14.01.001/2015-16 अद्यतित 29 मई, 2019 के जरिए केवाईसी के मास्टर दिशानिर्देश के पैरा 14), समय पर ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने के उद्देश्य

से खाता-आधारित संबंध की शुरुआत बैंक अपने विकल्प पर, किसी तीसरे पक्ष (यहां एनबीएफसी) द्वारा की गई ग्राहक की ड्यू डिलिजेंस पर भरोसा कर सकता है, जो एनबीएफसी द्वारा शर्तों के पालन को सुनिश्चित करने के अधीन है.

2. रिकॉर्ड या तीसरे पक्ष अर्थात एनबीएफ़सी द्वारा की गई ग्राहक की ड्यू डिलिजेंस की जानकारी या केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री से दो दिनों के भीतर बैंक को प्रदान किया जाना है.

3. एनबीएफसी द्वारा स्वयं को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं कि पहचान डेटा एवं ग्राहक के ड्यू डिलिजेंस की आवश्यकता से संबंधित अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रतियां अनुरोध पर बिना विलंब के एनबीएफसी से उपलब्ध कराए जाएंगे.

4. एनबीएफसी को पीएमएल अधिनियम के तहत आवश्यकताओं एवं दायित्वों के अनुरूप ग्राहक ड्यू डिलिजेंस तथा रिकॉर्ड रखने की आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए विनियमित, पर्यवेक्षित या अनुश्रवण किया जाता है.

5. एनबीएफसी उच्च जोखिम के रूप में मूल्यांकित देश या क्षेत्राधिकार में स्थित नहीं होना चाहिए.

6. ग्राहक के ड्यू डिलिजेंस और संवर्धित ड्यू डिलिजेंस के उपाय, जैसा भी लागू हो, करने की अंतिम जिम्मेदारी एनबीएफसी की होगी.

7. एनबीएफसी और बैंक के बीच पारस्परिक सहमति से टाई-अप व्यवस्था के समय एनबीएफसी से उपर्युक्त के संबंध में वचनपत्र लिया जाएगा.

8. हमारा बैंक उत्पादों, निर्धारित न्यूनतम सीमा अर्थात सिबिल आदि (या अन्य सीआईसी समकक्ष स्कोर यदि कोई हो) को अपनी ग्राहक पहचान को हमारे बैंक के साथ संरेखित करने के लिए एनबीएफ़सी को साझा करेगा.

9. इस पैरा के पूर्वोक्त दिशानिर्देशों के अतिरिक्त, हमारे बैंक के अधिकारी भी उधारकर्ता की केवाईसी/ड्यू डिलिजेंस करेंगे.

सी. हालांकि, यदि बैंक समझौते के अनुसार एनबीएफसी/एचएफसी द्वारा सृजित ऋणों को अपनी बहियों में लेने के संबंध में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करता है, तो यह व्यवस्था प्रत्यक्ष समनुदेशन लेनदेन के अनुरूप होगी. तदनुसार, अधिग्रहण करने वाला बैंक नकदी प्रवाह के प्रत्यक्ष समनुदेशन के माध्यम से आस्ति के स्थानांतरण से संबंधित लेनदेन पर दिशानिर्देशों के संदर्भ में सभी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा और अंतर्निहित प्रतिभूतियां समय-समय पर अद्यतित क्रमशः आरबीआई/2011-12/540 डीबीओडी.सं.बीपी. बीसी-103/21.04.177/2011-12 दिनांक 07 मई, 2012 और आरबीआई//2012-13/170 डीएनबीएस.पीडी. सं.301/3.10.01/2012-13 21 अगस्त 2012 के जरिए न्यूनतम होल्डिंग अवधि (एमएचपी) के अपवाद के साथ जो इस सीएलएम के संदर्भ में किए गए ऐसे लेनदेन में लागू नहीं होंगे, जारी की जाएंगी. (आरबीआई परिपत्र परिशिष्ट-V के रूप में संलग्न है).

डी. एमएचपी छूट केवल उन मामलों में उपलब्ध होगी जहां बैंकों और एनबीएफसी/एचएफसी के बीच पूर्व समझौते में दुतरफा आधार खंड शामिल है और प्रत्यक्ष समनुदेशन के लिए दिशानिर्देशों में निर्धारित अन्य सभी शर्तों का अनुपालन किया जाता है.

4.4. बैंकों को प्रवर्तक समूह से संबंधित एनबीएफसी/एचएफसी के साथ को-लेंडिंग व्यवस्था में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

4.5. हालांकि, आरबीआई ने एनबीएफसी/एचएफसी के साथ जुड़ाव के लिए एनबीएफसी/एचएफसी (आरबीआई द्वारा परिभाषित सीएलएम हेतु पात्र) द्वारा पूरा किए जाने वाले किसी विशिष्ट मानदंड को अनिवार्य नहीं किया है, हमारा बैंक एनबीएफसी/एचएफसी के साथ सीएलएम में प्रवेश करेगा जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है:

i. एनबीएफसी/एचएफसी को आरबीआई के साथ पंजीकृत होना चाहिए और आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंडों का पहले से ही पालन करना चाहिए.

ii. एनबीएफसी/एचएफसी को 4 वर्ष से अधिक समय से परिचालन में होना चाहिए.

iii. एनबीएफसी/एचएफसी की निवल मालियत रु.200.00 करोड़ से अधिक होनी चाहिए. हालांकि, एनबीएफसी/ एचएफसी की निवल मालियत को रु.100.00 करोड़ माना जाएगा, बशर्ते कि इस तरह के एनबीएफसी/एचएफसी को बाह्य रूप से ए और ऊपर की रेटिंग की जाएंगी.

iv. पिछले दो वर्षों में निवल एनपीए प्रत्येक वर्ष 2.00% से कम और सकल एनपीए 4.00% से कम होना चाहिए.

v. एनबीएफसी/एचएफसी का जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) हेतु न्यूनतम पूंजी 15% होनी चाहिए.

vi. सीएलएम केवल उन एनबीएफसी/एचएफसी के साथ प्रारंभ किया जाएगा जिन्हें ए (दीर्घावधि रेटिंग) और उससे ऊपर की रेटिंग दी गई है और सीएलएम की तारीख को रेटिंग एक वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए.

vii. को-लेंडिंग केवल उन्हीं एनबीएफसी/एचएफसी के साथ की जाएगी जिन्हें हमारी आंतरिक जोखिम रेटिंग नीति (रैम-एनबीएफसी जोखिम मॉडल) के अनुसार यूबीसी-4 और उससे ऊपर की रेटिंग दी गई है. टाई अप प्रस्ताव को प्रायोजित करने वाली संस्था वर्टिकल द्वारा आंतरिक जोखिम रेटिंग की जाएगी और जोखिम प्रबंधन विभाग (आरएमडी), केंद्रीय कार्यालय द्वारा इसे अंतिम रूप दिया जाएगा.

viii. चूंकि सीएलएम एनबीएफसी/एचएफसी के साथ एक टाई-अप व्यवस्था है, इसलिए हमारी वर्तमान को-लेंडिंग नीति की ही प्रति और योजनाओं/उत्पादों की सूची को एनबीएफसी/एचएफसी के साथ साझा किया जा सकता है.

5. विचार किए जाने वाले मानदंड: एनबीएफसी/एचएफसी के साथ सीएलएम में प्रविष्ट करते समय, एनबीएफसी/ एचएफसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा निम्नलिखित मानदंडों का अनुपालन किया जाता है.

i. नीतियां, प्रक्रियाएं और प्रणाली - एनबीएफसी/एचएफसी में हामीदारी अंकन एवं संवितरण मानकों को संचालित करने वाली नीतियां जैसे ऋण नीति, संपार्श्विक प्रबंधन नीति उचित तरीके से प्रलेखित होनी चाहिए. नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियां होनी चाहिए, ऋणों एवं चुकौती, वसूली, परिसंपत्ति मूल्य आदि को ट्रैक करने हेतु प्रौद्योगिकी के उपयोग की व्यवस्था होनी चाहिए.

ii. जोखिम प्रबंधन - एनबीएफसी/एचएफसी में जोखिम प्रबंधन, मंजूरी एवं हामीदारी प्रथाएं (आस्ति विशिष्ट प्रथाओं सहित), अपलिखित करना और प्रावधानीकरण मानदंड होने चाहिए. बोर्ड पर्यवेक्षण के अलावा मजबूत जोखिम प्रबंधन को नियंत्रित करने वाली बोर्ड की एक उपसमिति होनी चाहिए. एनबीएफसी/एचएफसी में स्थायी मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) होना चाहिए.

iii. प्रबंधन और अभिशासन / कारोबार निरंतरता योजना - एनबीएफसी / एचएफसी के प्रमुख कर्मियों का तकनीकी एवं प्रबंधन अनुभव, एनबीएफसी/एचएफसी का स्वामित्व, स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्तर, एनबीएफसी/एचएफसी में मजबूत कारोबारी निरंतरता योजना का होना आवश्यक है.

6. वित्तीय मानदंड: वित्तीय फ्रंट पर भी, बैंक (संबंधित कारोबार वर्टिकल) निम्नलिखित मानदंडों पर एनबीएफसी /एचएफसी के वित्तीय कार्यनिष्पादन के विश्लेषण पर विचार करेगा

i. पूंजीगत - पूंजी, टीयर I और टीयर II पूंजी, पूंजी पर्याप्तता के स्रोत.

ii. अर्जन - निवल ब्याज आय, लाभप्रदता, निधियों की लागत और आस्तियों पर प्रतिलाभ, गैर-ब्याज, आय, प्रावधानीकरण स्तर.

iii. आस्ति – आस्ति के प्रकार, विकास, और आस्ति की गुणवत्ता के उपाय जैसे एनपीए अनुपात, औपचारिक प्रोफ़ाइल और एनपीए में वृद्धिशील वृद्धि.

iv. देयताएं - निधियों का स्रोत, आस्ति-देयता अंतर जोखिम, बैंकों के मामले में कासा.

7. सीएलएम के तहत ऋण:

7.1. सीएलएम के तहत ऋण वैयक्तिक/प्रोपराइटरशिप संस्थाओं, साझेदारी फर्मों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों, निकटवर्ती सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां को प्रदान किया जाएगा (किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं), पात्र उधारकर्ता हैं जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत रु.0.01 करोड़ से रु.2.00 करोड़ तक की अर्हता प्राप्त करते हैं. एनबीएफसी/एचएफसी के साथ टाई-अप को अनुमोदित करते समय, ऋण की मात्रा की सीमा का उल्लेख किया जाना चाहिए. किसी विशेष

एनबीएफसी/एचएफसी को-लेंडिंग समझौते से ऋण की कोई कम/अधिक मात्रा, यदि कोई हो, को सीएसी । द्वारा अनुमोदित करने की आवश्यकता है.

7.2. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले केवल निम्नलिखित प्रकार के पात्र "मीयादी ऋण" सीएलएम के तहत प्रदान किए जाएंगे.

i. एमएसएमई
ii. आवास ऋण (सस्ती आवास ऋण पर जोर)
iii. खुदरा ऋण (उपरोक्त आवास ऋण के अतिरिक्त)
iv. कृषि ऋण
v. अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण.

7.3. इन दिशानिर्देशों के तहत, निम्नलिखित ऋण भले ही प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कवर किए गए हों, पात्र नहीं होंगे.

i. परिक्रामी ऋण सुविधाएं (जैसे नकद ऋण खाते, क्रेडिट कार्ड आदि)
ii. अन्य सुविधाएं जैसे ओवरड्राफ्ट (ओडी), पैकिंग ऋण/पोत-लदानोत्तर (पोस्ट शिपमेंट), गैर निधि आधारित एवं विदेशी मुद्रा ऋण आदि.

7.4. इस खंड के तहत उधारकर्ताओं को योग्यता के आधार पर प्रस्ताव का आकलन करके बैंक या एनबीएफसी/एचएफसी से अलग से नया ऋण प्रदान किया जा सकता है. हालांकि, सीएलएम के तहत पहले से मंजूर ऋण की अवधि के दौरान नया ऋण नहीं दिया जा सकता है, दूसरे शब्दों में नया ऋण उसी आस्ति के लिए / उसी आस्ति के सापेक्ष दोबारा नहीं दिया जा सकता है.

8. ग्राहक संबंधित मुद्दे:

i. एनबीएफसी/एचएफसी ग्राहकों के लिए इंटरफेस का एकल बिंदु होगा और उधारकर्ता के साथ एक ऋण समझौता करेगा, जिसमें स्पष्ट रूप से व्यवस्था की विशेषताएं और एनबीएफसी/एचएफसी और बैंक की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां शामिल होंगी.
ii. व्यवस्था के सभी विवरण ग्राहकों को पहले ही बता दिए जाएंगे और उनकी स्पष्ट सहमति ली जाएगी.
iii. ग्राहक सेवा एवं उचित व्यवहार संहिता से संबंधित मौजूदा दिशानिर्देश एवं बैंकों और एनबीएफसी/एचएफसी पर बाध्य दायित्व व्यवस्था के तहत दिए गए ऋणों के संबंध में यथोचित परिवर्तन सहित लागू होंगे.
iv. एनबीएफसी/एचएफसी को बैंक के साथ उचित सूचना साझा करने की व्यवस्था के माध्यम से, ग्राहक का एकल एकीकृत विवरण तैयार करने में सक्षम होना चाहिए.
v. शिकायत निवारण के संबंध में, एनबीएफसी/एचएफसी के साथ उधारकर्ता द्वारा दर्ज की गई किसी भी शिकायत का समाधान 30 दिनों के भीतर करने के लिए सह-ऋणदाताओं द्वारा उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसमें विफल रहने पर उधारकर्ता के पास एनबीएफसी/एचएफसी के लिए संबंधित बैंकिंग लोकपाल/लोकपाल या आरबीआई में ग्राहक शिक्षा और संरक्षण कक्ष के साथ इसे आगे बढ़ाने का विकल्प होगा.
vi. ब्याज दरें और प्रभार्यता: अंतिम उधारकर्ता से सभी-समावेशी ब्याज दर ली जा सकती है, जैसा कि दोनों उधारदाताओं द्वारा दोनों के लिए लागू मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुरूप सहमति हो सकती है.

सीएलएम व्यवस्था के तहत उधारकर्ताओं के लिए लागू ब्याज दर कार्ड दर या एनबीएफसी के साथ तय की गई दर से संबद्ध होगी. हालांकि, अग्रिम की श्रेणी के आधार पर ब्याज दर ईबीएलआर/एमसीएलआर से कम नहीं होगी.

ब्याज दर की गणना के लिए एक सांकेतिक उदाहरण निम्नानुसार है:

परिदृश्य **1:** नियत ब्याज दर

	उदाहरण **1**		उदाहरण **2**	
मिश्रित ब्याज दर की गणना	बैंक	एनबीएफ़सी	बैंक	एनबीएफ़सी
बेंचमार्क ब्याज दर	8%	9%	8%	9%
स्प्रेड	2%	3%	2%	3%
उपभोक्ता को ब्याज दर	10%(ए)	12%(बी)	10%(ए)	12%(बी)
ऋण योगदान अनुपात	80%(सी)	20%(डी)	70%(सी)	30%(डी)
मिश्रित ब्याज दर (ए*सी)+(बी*डी)=ई	**10.40%**		**10.60%**	

परिदृश्य **2:** अस्थायी ब्याज दर

	उदाहरण **1**		उदाहरण **2**	
भारित औसत ब्याज दर में परिवर्तन	बैंक	एनबीएफ़सी	बैंक	एनबीएफ़सी

बेंचमार्क ब्याज दर	8% (ए)	9% (बी)	8% (ए)	9% (बी)
ऋण योगदान अनुपात	80% (सी)	20% (डी)	70% (सी)	30% (डी)
भारित औसत बेंचमार्क ब्याज दर (एक्स=ए*सी+ बी*डी)	8.20%		8.30%	
स्प्रेड	2% (ई)	3% (एफ)	2% (ई)	3% (एफ)
भारित औसत स्प्रेड (वाई= ई*सी+एफ*डी)	2.20%		2.30%	
संवितरण के समय ग्राहक को पेश की गई भारित औसत ब्याज दर (एक्स + वाई)	10.40%		10.60%	
बेंचमार्क दर में परिवर्तन	0% (एफ़1)	+1% (जी1)	0% (एफ़1)	+1% (जी1)
संशोधित भारित औसत बेंचमार्क ब्याज दर एक्स' = [(ए+एफ़1)*सी + (बी+जी1)*डी]	8.40%		8.60%	
नई भारित ब्याज दर (एक्स' + वाई)	**10.40%**		**10.60%**	

9. जोखिम एवं रिवार्ड्स की हिस्सेदारी:
प्रत्यक्ष एक्सपोजर के माध्यम से ऋण जोखिम का न्यूनतम 20% परिपक्वता तक एनबीएफसी/एचएफसी की बहियों में होगा और शेषराशि बैंक की बहियों में होगी. न्यूनतम 20% स्किन-इन-द-गेम को ध्यान में रखते हुए, एनबीएफसी/एचएफसी के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य होगा कि उधार देने के मामले में कोई सीजनिंग आवश्यकता नहीं है. एनबीएफसी/एचएफसी को यह वचन देना होगा कि ऋण राशि के रूप में उनका योगदान हमारे बैंक या हमारे बैंक की किसी अन्य समूह कंपनी/सहायक कंपनी से उधार लेकर वित्तपोषित नहीं किया गया है. को-लेंडिंग के लिए योगदान के स्रोत को मंजूरी से पहले बैंक को उचित साक्ष्य के साथ प्रकट किया जाएगा. साथ ही, बैंक इस संबंध में एनबीईसी/एचएफसी और बैंक के बीच परस्पर सहमति के अनुसार सीए से सीए प्रमाणपत्र प्राप्त करने की संभावना भी पता करेगा.

10. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की स्थिति:
बैंक को-लेंडिंग व्यवस्था में शामिल होने के दौरान हमारे हिस्से के ऋण के संबंध में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की स्थिति का दावा करेगा. हालांकि, बैंक की बही में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की परिसंपत्तियां हर समय एनबीएफसी के दायित्व रहित होनी चाहिए.

11. मार्जिन:
विभिन्न योजनाओं जैसे आवास ऋण/एमएसएमई ऋण आदि में हमारे बैंक द्वारा निर्धारित मार्जिन का मूल्यांकन एवं आकलन में एकरूपता बनाए रखने के लिए एनबीएफसी/एचएफसी को भी ऋण राशि के न्यूनतम 20% हिस्से के लिए पालन करना होगा.

12. सामान्य खाता / प्रबंधन सूचना प्रणाली:

12.1. ऋण की शेषराशि के संबंध में आरबीआई द्वारा परिभाषित तंत्र के अनुसार, एनबीएफसी/बैंक वैयक्तिक उधारकर्ताओं के खातों का रखरखाव करेंगे और बैंक/एनबीएफसी के साथ आवश्यक जानकारी के उचित साझाकरण के जरिए ग्राहक को एकल एकीकृत विवरण जेनरेट एवं साझा करने में भी सक्षम होना चाहिए.

i. एनएफबीसी के कोर लेंडिंग सोल्यूशंस में रखरखाव के लिए उधारकर्ता को एकल खाते की पेशकश की जाएगी. एनबीएफसी में इस विशेष खाते का उपयोग ग्राहक के "टच पॉइंट" के रूप में किया जाना है. यह खाता एनबीएफसी/बैंक में वैयक्तिक रूप से रखे जा रहे ऋण खातों का प्रतिबिंब (छाया) होगा. छाया खाते में लेनदेन को बैंक द्वारा एनबीएफसी के साथ साझा किए गए मंजूरी/संवितरण/संग्रह डेटा के आधार पर या वैयक्तिक रूप से अधिकतम टी+2 के आधार पर अद्यतन किया जाएगा. इस खाते की सभी जानकारी सीआईसी को रिपोर्ट नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि यह केवल डमी प्रकृति की है और बैंक/एनबीएफसी के सामूहिक डेटा का प्रतिबिंब है.

ii. बैंक और एनबीएफसी अपने कोर बैंकिंग/ऋण समाधान में संबंधित वैयक्तिक खाते (स्वयं का हिस्सा) बनाए रखेंगे. यह खाता केवल निगरानी उद्देश्य में उपयोग किया जाएगा. यह खाता निर्धारित तंत्र के अनुसार क्रमशः बैंक/एनबीएफसी द्वारा सीआईसी को सूचित किया जाएगा. एनबीएफसी उधारकर्ता को मंजूरी की सूचना देते समय इस तंत्र से अवगत कराएं.

iii. हमारे कोर बैंकिंग समाधान में को-लेंडिंग के माध्यम से सृजित खाते को टैग किया जाएगा (कोड एनएफबीसी वार बनाया जाएगा).

iv. डीआईटी को-लेंडिंग और पूल बायआउट वर्टिकल/ एमएसएमई/ कृषि कारोबार/ सीसीएम/ सीआरडी/ एमआईएस/ आरबीडी/ आरएमडी/ एलसीवी को-लेंडिंग प्रसंस्करण कक्ष, मुंबई और संबंधित एनबीएफसी के कर्मचारियों की टीम के साथ लॉजिक और बैंक डेटा एवं गोपनीयता अधिकार की विधिवत रक्षा करने वाले बैंक के मानदंडों के अनुपालन में एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (एपीआई) या किसी अन्य तंत्र के रूप में डेटा साझा करने के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने हेतु समन्वय करेगा.

12.2. भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य वैधानिक/नियामक एजेंसियों द्वारा मांगे जाने पर एनबीएफसी के पास उपलब्ध पूर्ण डाटा के रूप में एनबीएफसी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी.

13. अन्य परिचालन पहलू:

13.1. बैंक और एनबीएफसी/एचएफसी अपने संबंधित एक्सपोजर के लिए प्रत्येक वैयक्तिक उधारकर्ता के खाते को बनाए रखेंगे. हालांकि, बैंकों और एनबीएफसी/एचएफसी के बीच सीएलएम से संबंधित सभी लेनदेन (संवितरण/चुकौती) बैंकों के साथ बनाए गए निलंब खाते के माध्यम से किए जाएंगे, ताकि निधियों के आपस में मिलने से बचा जा सके. मास्टर समझौता स्पष्ट रूप से सह-ऋणदाताओं के बीच विनियोजन के तरीके को निर्दिष्ट करेगा.

13.2. मास्टर समझौते में अभ्यावेदन एवं वारंटियों पर आवश्यक खंड शामिल हो सकते हैं, जो बैंक द्वारा अपनी बहियों में लिए गए ऋणों के हिस्से के संबंध में मूल एनबीएफसी/एचएफसी के लिए उत्तरदायी होंगे.

13.3. सह-ऋणदाता पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के अनुसार प्रतिभूति एवं ऋणभार की व्यवस्था करेंगे.

13.4. प्रत्येक ऋणदाता ऋण खाते के अपने हिस्से के लिए लागू विनियमों के तहत, उनमें से प्रत्येक पर लागू संबंधित नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, क्रेडिट सूचना कंपनियों को रिपोर्ट करने सहित, परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण की आवश्यकता का पालन करेगा.

13.5. सीएलएम के तहत ऋणों को बैंकों और एनबीएफसी/एचएफसी के भीतर आंतरिक/सांविधिक लेखा परीक्षा के दायरे में शामिल किया जाएगा ताकि उनके संबंधित आंतरिक दिशानिर्देशों, समझौते की शर्तों एवं मौजूदा नियामक आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित किया जा सके. लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण, सीओ को-लेंडिंग के तहत ऋणों की लेखापरीक्षा करने के लिए समवर्ती लेखापरीक्षा और आंतरिक लेखापरीक्षा के दायरे में उचित पहलुओं को शामिल करेगा.

13.6. किसी सह-ऋणदाता द्वारा किसी तीसरे पक्ष को ऋण का समनुदेशन केवल दूसरे ऋणदाता की सहमति से किया जाएगा.

13.7. बैंक और एनबीएफसी/एचएफसी दोनों, सह-ऋणदाताओं के बीच सह-ऋण व्यवस्था समाप्त होने की स्थिति में, सह-ऋण समझौते के तहत ऋण चुकौती तक अपने उधारकर्ताओं को निर्बाध सेवा सुनिश्चित करने के लिए कारोबार निरंतरता योजना लागू करेंगे.

13.8. इसके अतिरिक्त, एनबीएफसी द्वारा हमारे बैंक को उनकी मंजूरी/सैद्धांतिक अनुमोदन के बाद प्रस्ताव/आवेदन प्रस्तुत करने के समय, एनबीएफसी/एचएफसी द्वारा यह निर्दिष्ट किया जाना है कि प्रस्तावित ऋण बैंक (को-लेंडिंग टाई अप के तहत उक्त एनबीएफसी या अन्य बैंक) या स्वयं एनबीएफसी के द्वारा पहले से अस्वीकार नहीं किया गया था.

13.9. निकास खंड: यदि कोई बैंक या एनबीएफसी/एचएफसी समझौते से बाहर निकलना चाहता है (केवल नए कारोबार के लिए), तो दूसरे पक्ष को 30 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए.

13.10. सरसाई पंजीकरण (यदि लागू हो) एनबीएफ़सी/एचएफ़सी द्वारा किया जाएगा. एनबीएफसी/एचएफसी निर्दिष्ट शाखा के साथ सरसाई आईडी का प्रिंट आउट साझा करेगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि सीबीएस में सरसाई आस्ति आईडी एवं बंधक की तारीख प्रविष्ट की गई है.

13.11. सीजीटीएमएसई कवर (यदि लागू हो) संपूर्ण ऋण राशि के लिए एनबीएफसी/एचएफसी द्वारा प्राप्त किया जाना है और शाखा वैयक्तिक उधारकर्ता खाते में "हां/नहीं" के रूप में उपयुक्त सीजीटीएमएसई फ्लैग को चिह्नित करना सुनिश्चित करें. एक प्रमाणपत्र कि सभी पात्र ऋण सीजीटीएमएसई के तहत कवर किए गए हैं, इस आशय का प्रमाणपत्र प्रत्येक तिमाही में एनबीएफसी/एचएफसी के लेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाना है.

13.12. ब्याज अनुदान, यदि कोई लागू हो, संबंधित एनबीएफसी/एचएफसी द्वारा दावा किया जाएगा और दावा राशि को एनबीएफसी/एचएफसी और बैंक द्वारा मंजूर ऋण के अनुपात में साझा किया जाना है. अनुदान राशि को संग्रह खाते में जमा किया जाना है और वहां से इसे बैंक और एनबीएफसी/एचएफसी के बीच संबंधित ऋण अनुपात में उधारकर्ताओं के खाते में जमा किया जाना है.

13.13. संपत्ति पर ऋण (एलएपी) के तहत को-लेंडिंग के लिए स्कोरकार्ड पहले से मौजूद है (सीआरएमसी द्वारा अनुमोदित). को-लेंडिंग के तहत किसी अन्य उत्पाद को कार्यान्वित करते समय एक अलग स्कोर कार्ड विकसित किया जाना चाहिए और इसे सीआरएमसी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए.

14. ऋण के अंतिम उपयोग की निगरानी:

एनबीएफसी "ऋण के अंतिम उपयोग" ऋण पर एक प्रमाणन प्राप्त करेगी जिसका रिकॉर्ड रखने के लिए इसे बैंक के साथ साझा किया जाएगा. उक्त आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किए गए ऋण एवं कर चालान (टैक्स इनवॉइस) की मंजूरी के दौरान परिकल्पित आपूर्तिकर्ता को भुगतान को दर्शाने वाले खाते के विवरण द्वारा इसके साथ संलग्न किया जाना है. यदि ऐसा कोई उदाहरण देखा जाता है कि निधियों का उपयोग लेनदेन के लिए किया जाता है जो उधारकर्ता के कारोबार से संबंधित नहीं है, जिसके लिए उधारकर्ता को मीयादी ऋण की अनुमति है, तो एनबीएफसी ऋण सुविधा वापस ले लेगी.

15. निगरानी एवं वसूली:

15.1. कोई नया या अतिरिक्त ऋण प्रदान करने से पूर्व एनबीएफसी/एचएफसी के पोर्टफोलियो की वार्षिक समीक्षा क्षेत्रवार एक्सपोजर के आधार पर संबंधित वर्टिकल द्वारा की जाएगी.

15.2. आरबीआई ने परस्पर सहमत शर्तों के अनुसार ऋण की दैनिक निगरानी और वसूली के लिए एक ढांचा तैयार करने का निर्देश दिया है. उसी के संदर्भ में, हम निम्नलिखित तौर-तरीकों का प्रस्ताव करते हैं.

i. एनबीएफसी/एचएफसी यह सुनिश्चित करेंगी कि क्षेत्र स्टाफ द्वारा आचार संहिता और उनकी भर्ती, प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण के लिए प्रणाली के संबंध में वसूली के लिए उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति मौजूद है.

ii. को-लेंडिंग में हमारे हिस्से का डेटा हमारे पास उपलब्ध होगा और चूंकि सभी मानदंड एनबीएफसी में बनाए जा रहे वैयक्तिक खाते के समान होंगे, और खाते में दबाव के संकेत एनबीएफसी के खाते में भी मौजूद होंगे और बाद में ग्राहक इंटरफेस के लिए बनाए जा रहे डमी खाते में भी परिलक्षित होंगे.

iii. बैंक निरंतर आधार पर और समयबद्ध तरीके से उधारकर्ता (हमारा हिस्सा) के कार्यनिष्पादन की निगरानी करेगा. देय राशियों आदि की चुकौती के लिए उधारकर्ता से संपर्क करने हेतु किसी भी चूक के मामले में एनबीएफसी को अलर्ट दिया जाएगा. डीआईटी द्वारा एक तंत्र विकसित किया जाएगा जिसमें वैयक्तिक खाते में दबाव के मामले में खाते में अतिदेय/दबाव के लिए संबंधित एनबीएफसी को संबोधित पत्र/अलर्ट जेनरेट किया जाता है. देय राशियों की वसूली के लिए बैंक द्वारा एक स्वतंत्र अनुवर्ती कार्रवाई भी की जा सकती है.

iv. एनबीएफसी की मासिक फीडबैक रिपोर्ट वैयक्तिक खातों की त्रुटियों का समय पर पता लगाने और गैर निष्पादित उधारकर्ताओं की पहचान की सुविधा हेतु जानकारी प्रदान करेगी. यह रिपोर्ट 30/60/90 दिनों से अधिक देय राशि आदि में ऋणों का प्रतिशत एक्सपोजर रूप में प्रदान करेगी. एनबीएफसी इस रिपोर्ट को संपत्ति की श्रेणी हेतु संबंधित वर्टिकल को साझा करेगी, वर्टिकल इसे आगे की जानकारी के लिए क्षेत्र महाप्रबंधक/क्षेत्र प्रमुख के साथ साझा करेंगे.

v. पोर्टफोलियो के आकार के आधार पर, समय-समय पर बैंक द्वारा सुझाए गए उपयुक्त संशोधन के साथ ऋण निगरानी प्रक्रियाओं में बैंक के समवर्ती या आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा एनबीएफसी को उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी का सत्यापन शामिल हो सकता है. बैंक के लेखापरीक्षकों द्वारा ऐसे सत्यापन के लिए प्रवर्तक के साथ समझौता प्रदान किया जाएगा. बैंकों के अधिकारियों द्वारा सत्यापन हेतु सभी प्रासंगिक जानकारी और लेखापरीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध होनी चाहिए.

vi. मानक/एनपीए श्रेणी के दौरान ऋण की किसी भी पुनर्रचना के मामले में, पुनर्रचना के प्रत्यायोजन पर मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उसे अनुमोदित किया जाएगा.

16. एक्सपोजर सीमा:

इस व्यवस्था के तहत किसी भी एनबीएफसी के लिए निर्धारित अधिकतम कैप 400.00 करोड़ रुपये तय की गई है. किसी भी समय कुल बकाया ऋण रुपये 400.00 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए. हालांकि, बैलेंस शीट के आकार, बाजार कवरेज, पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, किसी विशेष एनबीएफसी के साथ उच्च परिव्यय पर विचार किया जा सकता है. इस संबंध में किसी भी विचलन को अनुमोदन के लिए सीएसी-I के समक्ष रखा जाना चाहिए.

17. शक्तियों का प्रत्यायोजन:

17.1. ऋण अधिकारों के प्रत्यायोजन नीति के अनुसार संबंधित प्रत्यायुक्त द्वारा सीएलएम के अंतर्गत ऋण स्वीकृत किया जाएगा.

हालांकि, सीएलएम के लिए विशेष एनबीएफसी/एचएफसी की नियुक्ति के लिए प्रत्यायोजन सीएसी-I में निहित होगा. लार्ज कॉरपोरेट वर्टिकल क्रेडिट वर्टिकल (को-लेंडिंग और पूल बायआउट वर्टिकल) के साथ संयुक्त रूप से ऋण नीति में निर्धारित कट ऑफ सीमा के अनुसार प्रस्ताव को संचालित करेंगे. इस नीति के अनुरूप एनबीएफसी/एचएफसी की नियुक्ति के लिए किए जाने वाले किसी भी समझौते की जांच विधि विभाग द्वारा की जाएगी.

17.2. को लेंडिंग और पूल बायआउट वर्टिकल के मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक उचित प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद टाई-अप पर हस्ताक्षर करने, एनबीएफसी/एचएफसी आदि के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं.

17.3. को-लेंडिंग की अवधारणा संपूर्ण बैंकिंग उद्योग के लिए नई है. एनबीएफसी/एचएफसी की निरंतर बदलती और विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सह-ऋण देने के लिए किसी विशेष एनबीएफसी के साथ किसी विशेष टाई-अप के लिए कुछ छूट/विचलन की आवश्यकता हो सकती है. चूंकि सभी टाई अप केवल सीएसी-I द्वारा केंद्रीय कार्यालय स्तर पर किए जाएंगे, इस नीति में दिए गए किसी विशेष एनबीएफसी/एचएफसी से संयुक्त उधारकर्ता के लिए मानदंडों में किसी भी विचलन (छूट) लेने के किसी भी निर्णय में लचीलापन रखने के लिए सीएसी-I द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए.

17.4. एनबीएफसी से प्राप्त प्रस्तावों का तत्काल निपटान सुनिश्चित करने और एमएसएमई, आरएबीडी और एफआईजी जैसे सभी उपयोगकर्ता वर्टिकल को शामिल करके गुणवत्ता और अनुपालन से समझौता किए बिना दक्षता प्राप्त करने के लिए स्टेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) विकसित की जाएगी. एसटीपी के द्वारा आवेदन का सत्यापन, केवाईसी, पात्रता और नीति दिशानिर्देशों का अनुपालन और स्वीकृति प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा.

17.5. स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस (एसटीपी) को अंतिम रूप देने के उपरांत, इसे अनुमोदन हेतु सीआरएमसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

18. निलंब खाते के माध्यम से संग्रहण एवं वसूली

ए. निगरानी और वसूली एनबीएफसी/एचएफसी द्वारा की जाएगी.

बी. वसूल की गई राशि उसी दिन एनबीएफसी द्वारा बैंक के संग्रहण खाते में जमा की जाएगी. विशेष आकस्मिकताओं के तहत, एनबीएफसी, टी+1 आधार पर अधिकतम क्रेडिट कर सकते हैं.

सी. एनबीएफसी व्यक्तिगत खाता संख्या और पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के अनुसार जमा की जाने वाली राशि का विवरण देते हुए एमआईएस साझा करेगी.

डी. एनबीएफसी द्वारा चालू खाते में जमा की तारीख से चालू खाते से, व्यक्तिगत ऋण खातों में क्रेडिट सामान्यत: उसी दिन या टी+1 आधार पर मूल्य तिथि के साथ किया जाएगा.

ई. वसूल की गई राशि को बैंक के साथ रखे गए उधारकर्ताओं के व्यक्तिगत ऋण खातों में जमा किया जाएगा और वसूली गई राशि के एनबीएफसी के हिस्से को स्वीकृत शर्तों पर जमा किया जाएगा.

एफ. यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन खातों का मिलान दैनिक/आवधिक आधार पर किया जाता है, नामित शाखा द्वारा संग्रहण खाते की सघन निगरानी की जानी चाहिए.

जी. इन खातों का निरीक्षण संबंधित क्रेडिट वर्टिकल द्वारा किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भुगतान T+1 आधार (मूल्य तिथि के साथ) पर समायोजित किए गए हैं.

19. एनपीए प्रबंधन

ए. जैसा कि सह-ऋण के तहत स्वीकृत है, बैंक और एनबीएफसी उनमें से प्रत्येक के लिए लागू संबंधित विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण आवश्यकताओं का पालन कर सकते हैं.

बी. नामित शाखा बैंक की वर्तमान आईआरएसी स्थिति के अनुसार अतिदेय खातों की पहचान करेगी और एनबीएफसी को इन अतिदेय खातों को नियमित करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करने और वसूली करने की सलाह देगी.

सी. एक बार व्यक्तिगत ऋण खाते को बैंक के आईआरएसी मानदंडों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने के बाद नामित शाखा निम्नलिखित कार्रवाई करें:

i. शेष बकाया मूलधन और ब्याज लागू किए जाने की स्थिति और एनबीएफसी के साथ खाते की स्थिति की भी जांच करें.

ii. एनपीए का कारण और उस पर की गई कार्रवाई की स्थिति बताते हुए एनबीएफसी से मासिक अनुवर्ती रिपोर्ट प्राप्त करें.

iii. एनबीएफसी की संग्रहण/वसूली टीम के साथ मासिक बैठक आयोजित करना चाहिए.

iv. सह-ऋण दिए गए ऋणों के नियंत्रण और निगरानी की समग्र जिम्मेदारी, संपत्ति की गुणवत्ता बनाए रखना संबंधित क्रेडिट वर्टिकल के पास उपलब्ध रहेगा.

v. यदि एनपीए खाते में बकाया ऋण 20 लाख रुपये तक है, तो नामित शाखा को बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार सरफेसी अधिनियम (जहां भी लागू हो) के तहत कार्रवाई शुरू करनी होगी और नोटिस देना होगा (किसी भी स्पष्टता के लिए कानूनी सेवा प्रभाग से सलाह लिया जाना चाहिए).

vi. ऋण के मामले में, बकाया 20 लाख रुपये से अधिक होने पर, सरफेसी अधिनियम (जहां भी लागू हो) के तहत एनबीएफसी द्वारा कार्रवाई शुरू की जाएगी. शाखा को एनपीए खाते में कार्रवाई शुरू करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर सह-ऋणदाता से 13(2), 13(4) और अन्य संबंधित कागजात की प्रतियां प्राप्त करनी होंगी.

डी. किसी भी परिस्थिति में एनबीएफसी स्वयं के शेयर सहित सह-ऋण दिए गए ऋण के संबंध में एकतरफा रूप से समझौता/निपटान या बट्टे खाते में डालने की प्रक्रिया आरंभ नहीं कर सकता है. एनपीए खातों के

संबंध में जहां वसूली संतोषजनक नहीं है, केवल बैंक ही एनबीएफसी की मदद से बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है.

20. केवाईसी और खाता खोलने पर सामान्य दिशानिर्देश:

ए. ऋण खाता खोलने के लिए सीआईएफ नंबर जेनरेट करना चाहिए.

बी. आरबीआई परिपत्र सं आरबीआई/डीबीआर/2015-16/18, मास्टर निर्देश डीबीआर.एएमएल.बीसी.नं 81/14.01.001/2015-16 दिनांक 25.02.2016 के संदर्भ में और समय-समय पर अद्यतित केवाईसी दिशानिर्देशों का बैंक और एनबीएफ़सी द्वारा पालन किया जाना चाहिए.

सी. ग्राहक ड्यू डिलिजेंस और संवर्धित ड्यू डिलिजेंस उपायों को लागू करने का उत्तरदायित्व, जैसा भी लागू हो, बैंक के पास विनियमित संस्था (आरई) के रूप में होगी.

डी. एनबीएफसी को जहां भी लागू/उपलब्ध हो, सीकेवाईसी विवरण सहित बैंक के साथ केवाईसी दस्तावेजों को साझा करना होगा.

ई. खाता खोलने की सुविधा के लिए एनबीएफसी भी वीडियो केवाईसी कार्यक्षमताओं का उपयोग कर सकती है जब भी यह सुविधा उपलब्ध होगी.

एफ़. **बैंक खातों का समाधान:** एनबीएफसी को मासिक आधार पर अपने मिरर खाते (खातों) का बैंक खाते (खातों) से मिलान करना चाहिए और समाधान विवरण नामित शाखा को प्रस्तुत करना चाहिए. यदि कोई अंतर है तो खाते (खातों) का मिलान करने के लिए उचित कार्रवाई की जानी चाहिए. संबंधित क्रेडिट वर्टिकल द्वारा इन खातों के समाधान की समग्र निगरानी की जाएगी.

जी. **संपत्ति को प्रतिभूति के रूप में लिए जाने के मामले में अनुपालन हेतु जांचसूची:**

i. एनबीएफसी को यह पुष्टि करनी होगी कि सरसाई खोज के माध्यम से गिरवी रखी जाने वाली प्रस्तावित संपत्ति पर कोई पूर्व ऋण-भार न हो.

ii. सभी ऋणों के मामले में, जहां सरफेसिया के अनुरूप संपत्ति को प्राथमिक/संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है, केवल उन्हीं खातों को मूल्यांकन के लिए स्वीकार किया जाएगा जहां एनबीएफ़सी ने बैंक के निर्धारित प्रारूप पर प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक अनुपालन किया हो.

iii. प्रतिभूति का मूल्यांकन मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा.

iv. संपत्ति का साम्य/पंजीकृत बंधक एनबीएफसी द्वारा किया जाएगा.

v. यदि किसी धोखाधड़ी की संभावना है, एनबीएफसी को तुरंत संपत्ति सत्यापन, एनईसी की प्राप्ति और स्वत्वधिकार खोज/सत्यापन रिपोर्ट किए जाने की सलाह दी जाए.

21. <u>को-लेंडिंग के लिए केंद्रीकृत प्रसंस्करण कक्ष (सीपीसी)</u>

ए. संयुक्त उधारकर्ता के तहत विशेष गतिविधि के निर्बाध संचालन के लिए, बैंक द्वारा ऋणों के प्रसंस्करण और स्वीकृति के लिए एक केंद्रीकृत प्रसंस्करण सेल (सीपीसी) की स्थापना की गई है.

बी. एमएस मार्ग, मुंबई शाखा, संयुक्त उधारकर्ता के लिए केंद्रीकृत प्रसंस्करण सेल (सीपीसी) के रूप में चिन्हित किया गया है.

सी. को-लेंडिंग मॉडल (सीएलएम) के तहत एनबीएफसी भारत में सभी स्थानों से ऋण प्रस्ताव प्राप्त कर अपने केंद्रीकृत कार्यालय से बैंक को प्रेषित करता है. बैंक की ओर से, सीपीसी ऋण प्रस्तावों की स्वीकृति, संवितरण, निगरानी और समाधान का कार्य करेगा.

डी. सीएलएम के अंतर्गत कारोबार की वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोसेसिंग सेल का नेतृत्व मुख्य प्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक करेंगे.

ई. को-लेंडिंग के लिए समर्पित केंद्रीकृत प्रसंस्करण कक्ष की भूमिका.

कक्ष प्रमुख: एम एस मार्ग शाखा में समर्पित कक्ष के प्रमुख, मुख्य प्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक वर्ग के होंगे. अगले स्तर पर उच्च प्रबंधन क्षेत्रीय कार्यालय में आरएलसीसी-I/II होंगे. (यदि मंजूरी का प्रत्यायोजन को-लेंडिंग कक्ष के प्रमुख के पास है, तो क्षेत्रीय कार्यालय के आरएलसीसी को अगले उच्च प्राधिकारी के रूप में माना जाएगा).

कक्ष की भूमिका: सीएलएम के सुचारू कार्यान्वयन के लिए संबंधित क्रेडिट वर्टिकल द्वारा प्रत्येक टाई अप के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जाएगी. एसओपी को सीएसी-I द्वारा अनुमोदित नीतिगत दिशानिर्देशों और गठजोड़ के नियमों और शर्तों के अंदर तैयार किया जाएगा. टाई अप विशिष्ट एसओपी आवश्यक है क्योंकि सीएलएम के तहत विभिन्न परिसंपत्ति वर्ग को वित्तपोषित करने का प्रस्ताव है और ऋण देने वाले भागीदारों के बीच टाई अप की प्रकृति अलग हो सकती है. तदनुसार, संबंधित वर्टिकल के प्रमुख (सीजीएम/जीएम) को किसी विशेष टाई अप के लिए एसओपी को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्रस्तावित किया जाता है. एसओपी में अनिवार्य रूप से निम्नलिखित प्रक्रिया/गतिविधियां/पैरामीटर शामिल होंगी:

i. केवाईसी अनुपालन और ड्यू डिलिजेंस
ii. ऋण मंजूरी
iii. ऋण का संवितरण
iv. मंजूरी के बाद की प्रक्रिया
v. संग्रहण
vi. निलंब खातों का समाधान
vii. संवितरण पश्चात सेवा
viii. निरीक्षण
ix. निगरानी और वसूली तंत्र
x. रिपोर्टिंग की आवश्यकता

एनबीएफसी द्वारा किए गए संवितरण के बाद सीएलएम के तहत, टेक प्लेटफॉर्म के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से टेक प्लेटफॉर्म तैयार होने तक हमारे बैंक में अग्रेषित की जाएगी. इसकी सूचना बैंक अधिकारी को ईमेल के माध्यम से दी जाएगी. को-लेंडिंग के लिए केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र प्लेटफॉर्म या अन्य मोड से संपूर्ण ऋण से संबंधी सभी दस्तावेज/जानकारी डाउनलोड करेगा एवं उसकी जांच करेगा. कक्ष द्वारा संचालित की जाने वाली गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

i. उधारकर्ता की किसी विशेष श्रेणी के लिए लागू सभी दस्तावेजों को डाउनलोड और सत्यापित करना.
ii. एनबीएफसी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करना और जांचसूची के अनुसार उसकी पुष्टि करना.
iii. विसंगतियों, यदि कोई हो, के बारे में एनबीएफसी को टेक प्लेटफॉर्म के माध्यम से सूचित किया जाना है (टेक प्लेटफॉर्म विकसित नहीं होने तक मेल या संचार के अन्य माध्यम से). बैंक की संतुष्टि पर एनबीएफसी को वापस आना है. (बैंक मौजूदा एलएएस प्लेटफॉर्म में को-लेंडिंग की डिजिटलीकृत प्रक्रिया

के प्रबंधन के लिए एक टेक प्लेटफॉर्म विकसित करने की प्रक्रिया में है. इस प्रक्रिया में दस्तावेजों का हस्तांतरण, स्कोरिंग, हामीदारी अंकन, मंजूरी शामिल होगी.)

iv. यह सुनिश्चित करें कि एनबीएफसी द्वारा प्रस्तुत ऋण प्रस्ताव को-लेंडिंग मॉडल हेतु तैयार की गई हमारी योजना के दिशानिर्देशों और बैंक के हामीदारी मानकों के अनुरूप है.

v. कक्ष द्वारा प्रत्येक ऋण आवेदन का मूल्यांकन किया जाएगा और मूल्यांकन, हामीदारी अंकन आवश्यकता और एनबीएफसी के साथ को-लेंडिंग व्यवस्था हेतु प्रत्यायोजित प्राधिकारी के अनुसार स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान करेगा.

vi. मंजूरी के विवरण में अन्य बातों के साथ-साथ ऋण राशि, बैंक की ब्याज दर, अवधि, ईएमआई राशि, प्रतिभूति विवरण आदि शामिल होना चाहिए.

vii. अस्वीकृति के मामले में कारणों का एलएएस स्क्रीन में उल्लेख किया जाना चाहिए (प्लेटफॉर्म तैयार होने तक ईमेल के माध्यम से) जो एनबीएफसी को अग्रेषित किया जाएगा.

viii. समनुदेशन विलेख दस्तावेज प्राप्त होने एवं बैंक के हिस्से के संवितरण के पश्चात बैंक के पैनल एडवोकेट से समनुदेशन विलेख का कानूनी पुनरीक्षण 3 कार्य दिवसों की अवधि के भीतर करना है.

ix. प्रत्येक ऋण खाते के लिए खाता खोलना और निलंब खाते में ऋण का संवितरण. निलंब खातों का रखरखाव करना (टाई अप के तहत प्रत्येक एनबीएफसी हेतु संवितरण एवं संग्रहण के लिए दो निलंब खाते प्रस्तावित हैं). निलंब खातों का मिलान करना.

x. कुल मंजूरी के 10% के लिए संवितरण के पश्चात का निरीक्षण यादृच्छिक रूप से किया जाता है और रिपोर्ट एनबीएफसी के साथ साझा की जाती है और मूल रिपोर्ट बैंक में रखी जाती है.

xi. सीएलएम के तहत संवितरित खातों की वार्षिक समीक्षा करना.

एफ. **प्रसंस्करण:** वर्तमान में, सरल/यूएलपी विशेष क्षेत्र में जेनरेट ऋण आवेदनों को संसाधित कर रहे हैं. हालांकि, एनबीएफसी द्वारा अखिल भारत में कारोबार सृजन के लिए को-लेंडिंग गतिविधियां शुरू की जाएंगी. इसलिए, बैंक द्वारा को-लेंडिंग के तहत निर्धारित समय अवधि एवं समान मानकों/न्यूनतम गतिविधि को पूरा करने के लिए, सरल/यूएलपी के जरिए हामीदारी प्रक्रिया को अलग किया जाएगा और सीएलएम के लिए समर्पित सीपीसी द्वारा किया जाएगा. एकसमान और त्वरित निपटान/निर्णय के लिए एनबीएफसी द्वारा प्राप्त सभी प्रस्तावों का को-लेंडिंग गतिविधियों के लिए केंद्रीकृत प्रसंस्करण कक्ष द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा. मंजूरी एवं संवितरण के लिए बैंक द्वारा एनबीएफसी से प्राप्त प्रत्येक लीड सीपीसी के दो कर्मचारियों के माध्यम से पारित होगी अर्थात मेकर और चेकर. प्रसंस्करण कक्ष सभी वर्टिकल से संबंधित सभी प्रस्तावों को संसाधित करेगा.

जी. को-लेंडिंग गतिविधि के लिए सीपीसी को ऋण देने की शक्तियों का प्रत्यायोजन:

i. मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों और एनबीएफसी/एचएफसी द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को सह-ऋण प्रदान के लिए सीएलएम के तहत रु.2.00 करोड़ तक के ऋण को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हेतु अर्हता प्राप्त करने पर सीएलएम के तहत विचार किया जाना है. हालांकि, सीएसी-I रु.2.00 करोड़ से अधिक की राशि पर मामला-दर-मामला के आधार पर अनुमोदन टाई-अप के समय विचार कर सकता है. निम्न प्रत्यायोजन का उपयोग केवल को-लेंडिंग मॉडल के तहत ऋण की मंजूरी के लिए किया जाएगा:

को-लेंडिंग गतिविधि के लिए सीएलएम के तहत ऋण की मंजूरी हेतु प्रत्यायोजन शक्ति प्रसंस्करण कक्ष प्रभारी के अधिकार में है.

(रु. करोड़ में)

अग्रिम की श्रेणी	**सीपीसी प्रभारी का वेतनमान**	
	IV	V
एमएसएमई ऋण	2.00	5.00
खुदरा ऋण (बंधक आधारित)	0.75	2.00
अन्य ऋण (कृषि सहित)	2.00	5.00

ii. **अगला उच्चतर प्राधिकारी**: ऐसे मामलों में, जहां को-लेंडिंग के लिए रियायत/विचलन या सीपीसी प्रभारी के प्रत्यायोजन से अधिक राशि हेतु किसी भी ऋण की मंजूरी के लिए अगले उच्चतर प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो आरएलसीसी-I/आरएलसीसी-II की अध्यक्षता करने वाले एजीएम या आरएलसीसी की अध्यक्षता करने वाले एजीएम की अनुपस्थिति में, क्षेत्रीय कार्यालय में आरएलसीसी-I की अध्यक्षता वाले डीजीएम अनुमोदन प्रदान करेंगे.

अगले उच्चतर प्राधिकारी के रूप में, को-लेंडिंग मॉडल के तहत मंजूरी हेतु आरएलसीसी के प्रतिनिधि मंडल निम्नानुसार होगा.

(रु. करोड़ में)

	वेतनमान IV या V की अध्यक्षता वाले क्षेत्रीय कार्यालय में आरएलसीसी
एमएसएमई ऋण	5.00
खुदरा ऋण (बंधक आधारित)	2.00
अन्य ऋण (कृषि सहित)	5.00

22. सांकेतिक मानक परिचालन प्रक्रिया

परिभाषाएँ और संक्षिप्ताक्षर:

इस नीति एवं मानक परिचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) में, जब तक की संदर्भ अन्यथा इंगित या आवश्यक न हों, निम्नलिखित शब्दों/टर्म के अर्थ यहाँ दिए गए अर्थ माने जाएंगे:

शब्द	**अर्थ/परिभाषा**
बैंक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के तहत गठित एक निगमित निकाय है, जिसका प्रधान कार्यालय मुंबई _____ में स्थित है.
कारोबार दिवस	वह कार्य दिवस (रविवार को छोड़कर) जिस दिन बैंक सामान्य कारोबार के लिए खुले होते हैं.
को-लेंडिंग परिपत्र	आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र संदर्भ संख्या FIDD.CO.Plan.BC.No.8/04.09.01/2020 दिनांक 5 नवंबर, 2020 का संदर्भ लें, जिसमें बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के

	बीच प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने हेतु को-लेंडिंग मॉडल के लिए मानदंड तैयार किए गए हैं, जिसे अंतर्निहित आस्तियों के प्रत्यक्ष समनुदेशन पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम/संशोधित परिपत्र के साथ पढ़ा जाए.
को-लेंडिंग मॉडल	को-लेंडिंग मॉडल के तहत परिकल्पित को-लेंडिंग मॉडल के मॉडल 2, का बैंक द्वारा अनुपालन किया जाना चाहिए एवं लेनदेन दस्तावेजों के संदर्भ में एनबीएफ़सी/एचएफ़सी का नाम दर्ज किया जाना चाहिए.
वसूली खाता	एनबीएफ़सी/एचएफ़सी का नाम जिसके द्वारा परिचालित एवं नियंत्रित की जाने वाली प्रासंगिक क्रेडिट सुविधा के संबंध में उधारकर्ता/(ओं)/ऋणकर्ता से भुगतान और/या उधारकर्ता/ऋणकर्ता द्वारा चुकौती के लिए राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से चालू खाता खोला जाना है.
वसूली गई राशि	वित्तीय दस्तावेजों की शर्तों के अनुसार प्राप्त की जाने वाली कोई अन्य राशि, जिसमें पूर्व भुगतान प्राप्तियां शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन पूर्व भुगतान प्राप्तियां तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए.
ऋण सुविधा	एचएफ़सी द्वारा एक उधारकर्ता को प्रदत्त ऋण, जिसमें बैंक ने को-लेंडिंग मॉडल के अनुसार एनबीएफ़सी/एचएफ़सी का नाम जिसके द्वारा बैंक ने अधिकार, हक़ एवं हित अर्जित कर लिया है, जैसा की लेनदेन दस्तावेजों के तहत पार्टियों के बीच पारस्परिक रूप से सहमति हो सकती है.
संवितरित खाता	एनबीएफ़सी के पक्ष में संवितरण खाता, जिसमें बैंक को बिक्री से प्राप्त राशि को स्थानांतरित करना आवश्यक है.
पात्रता की शर्तें	को-लेंडिंग मॉडल के अनुसार बैंक को ऋण(णों) में एनबीएफ़सी/एचएफ़सी का नाम जिसके द्वारा बैंक का अधिकार, हक़ एवं हित अर्जित करने हेतु, संभावित उधारकर्ता को यह मानदंड पूरा किया जाना चाहिए.
एनबीएफ़सी/एचएफ़सी	नाम एवं पता
निधि अनुपात	__: __, जिसमें ऋण सुविधा का एनबीएफ़सी/एचएफ़सी का नाम का अंश __% एवं बैंक का अंश __% होगा.
ऋण	पात्रता शर्तों को पूरा करने वाली एनबीएफ़सी/एचएफ़सी का नाम जिसके द्वारा उधारकर्ता (ओं) को वित्तीय सुविधा प्रदान की गई.
बिक्री से प्राप्त राशि	पक्षों के बीच किए गए प्रत्येक समनुदेशन समझौते के तहत एनबीएफ़सी/एचएफ़सी का नाम बैंक द्वारा अधिग्रहित आवास ऋण हेतु समग्र खरीद राशि.
सर्विसर	एनबीएफ़सी/एचएफ़सी के नाम का अर्थ होगा, जिसे बैंक द्वारा सर्विसर के रूप में अन्य बातों के साथ-साथ प्राप्तियाँ का प्रबंधन, संग्रह और भुगतान प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया गया है, संग्रह खाते में निर्दिष्ट प्राप्तियों को जमा करने और कुछ अन्य सेवाएं प्रदान करने हेतु वसूली सहित प्राप्तियाँ एनबीएफ़सी/एचएफ़सी का नाम, सर्विसर के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए सहमत है.

लेनेदेन वाले दस्तावेज़	सामूहिक रूप से को-लेंडिंग करार, उत्पाद नीति एवं मानक परिचालन प्रक्रियाएं, संग्रह निलंब करार, को-लेंडिंग मॉडल के संबंध में बैंक एवं एनबीएफ़सी/एचएफ़सी के नाम के बीच निष्पादित कोई अन्य दस्तावेज़ या समझौता.

सांकेतिक मानक परिचालन प्रक्रिया

क्र.सं.	पैरामीटर	एनबीएफ़सी	बैंक
1.	आय मूल्यांकन	• डायरेक्ट सेलिंग टीम (डीएसटी) द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ फ़ाइल को लॉग किया जाएगा. • डायरेक्ट सेलिंग टीम (डीएसटी) द्वारा सैलरी स्लिप/सर्टिफिकेट या आईटीआरएस प्राप्त कर बैंक का सत्यापन किया जाएगा. • सीएम (क्रेडिट मैनेजर) द्वारा आवेदन और पात्रता गणना की समीक्षा की जाएगी. • सीएम द्वारा ग्राहक के साथ पीडी (व्यक्तिगत चर्चा) करने के बाद आवेदन पत्र का सत्यापन शुरू किया जाएगा. • यदि केस सीएम के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, तो उस स्थिति में केस की संस्तुति मंजूरी प्राधिकारी द्वारा की जाएगी.	नामित शाखा, अनुमत डेवीएशन, यदि कोई हो, सहित मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्ताव को संसाधित किया जाएगा.
2.	ऋण स्वीकृति	• सॉफ्ट अप्रूवल सीएम (क्रेडिट मैनेजर) द्वारा किया जाएगा या नीति के अनुसार अनुमोदन हेतु केस, प्राधिकारी को संस्तुत किया जाएगा.	निर्धारित समय अवधि के भीतर एनबीएफ़सी को स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में सूचित किया जाएगा.
3.	तकनीकी सत्यापन	• आंतरिक तकनीकी प्रबंधक/ बाह्य तकनीकी विक्रेता को (लेन-देन के प्रकार और ऋण की मात्रा के आधार पर) वास्तविक संपत्ति के स्थान का दौरा	एनबीएफ़सी/एचएफ़सी की आंतरिक मूल्यांकन रिपोर्ट या एनबीएफ़सी/ एचएफ़सी द्वारा प्रदान की गई बाह्य मूल्यांककों/ एजेंसियों की मूल्यांकन रिपोर्ट

		करना होगा एवं तारीख सहित दौरे की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी. • अचल संपत्ति के फोटोग्राफ की एक प्रति रखी जाए. • स्थानीय लोगों से बातचीत कर संपत्ति का मूल्यांकन किया जाए. • आस-पड़ोस में पूछकर अचल संपति के वास्तविकता की पुष्टि करने का प्रयास किया जाए.	बैंक द्वारा को-लेंडिंग मॉडल के तहत स्वीकार की जा सकती है, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी: i. ऋण राशि की सीमा (एकल ऋण खाता) रु.30.00 लाख तक है. ii. मूल्यांकन रिपोर्ट (ओं) को तकनीकी योग्यता, मूल्यांककर्ता के नाम एवं पदनाम द्वारा समर्थित किया जाना है. रु.30.00 लाख से अधिक के ऋणों हेतु मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु, को-लेंडिंग पोर्टफोलियो को संभालने वाली शाखाओं द्वारा उक्त शाखा से जुड़े आरएलसीसी-I के अनुमोदन से एनबीएफ़सी/एचएफ़सी आदि के मूल्यांककों को सूचीबद्ध किया जाएगा. सूचीबद्ध करते समय, आरएलसीसी द्वारा को-लेंडिंग मॉडल के तहत, ऋण सुविधाओं के वित्तपोषण हेतु मूल्यांककों को सूचीबद्ध करने के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाएगा. रु.30.00 लाख से अधिक के ऋण हेतु, को-लेंडिंग मॉडल के तहत, मूल्यांककों को सूचीबद्ध करते समय तक, बैंक के सूचीबद्ध मूल्यांककों की सेवाओं का उपयोग किया जाए. मंजूरी प्राधिकारी द्वारा किसी भी रियायत/छूट की अनुमति मामलों के आधार पर दी जाएगी. स्वर्ण ऋण का मूल्यांकन उद्योग पद्धति में अपनाई जा रही प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, जोखिम को कम करने के उपाय के रूप में, यह सुनिश्चित किया जाए कि बैंक इस मॉडल के तहत स्वीकृत

			ऋणों में लगभग 5% से 10% का चयन करता है, जहां एनबीएफ़सी/एचएफ़सी द्वारा अनुमोदित एजेंसियों से मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त की जाती है. इस तरह की मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रामाणिकता और स्वीकार्यता के लिए बैंक के सूचीबद्ध मूल्यांकनकर्ता द्वारा जांच की जाए तथा इस सुविधा को जारी रखने के लिए तिमाही आधार पर इसकी समीक्षा की जाए.
4.	विधि सत्यापन	• आंतरिक विधि टीम पिछले 13 वर्षों के संपत्ति के स्वामित्व की जांच करती है एवं संपत्ति की जांच के आधार पर कानूनी मत तैयार किया जाता है.	एनबीएफ़सी/एचएफ़सी की आंतरिक टीम या एनबीएफ़सी/एचएफ़सी द्वारा प्रदान की गई बाह्य वकील/ विधिक फ़र्म से कानूनी मत बैंक द्वारा को-लेंडिंग मॉडल के तहत स्वीकार की जा सकती है, जो नीचे दी गई शर्तों के अधीन है: i. ऋण राशि की सीमा (एकल ऋण खाता) रु. 30.00 लाख तक है. ii. कानूनी मत/ रिपोर्ट को तकनीकी योग्यता, मूल्यांककर्ता के नाम एवं पदनाम द्वारा समर्थित किया जाना है. 30.00 लाख रुपए से अधिक के ऋणों हेतु कानूनी जांच रिपोर्ट प्राप्त करने की सुविधा के लिए, को-लेंडिंग पोर्टफोलियो को संभालने वाली शाखाएँ उक्त शाखा से जुड़े आरएलसीसी-I के अनुमोदन से एनबीएफ़सी/एचएफ़सी आदि के अधिवक्ताओं को सूचीबद्ध किया जाए. सूचीबद्ध करते समय, आरएलसीसी द्वारा को-लेंडिंग मॉडल के तहत, ऋण सुविधाओं के वित्तपोषण हेतु अधिवक्ताओं को सूचीबद्ध करने के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाए.

			रु.30.00 लाख से अधिक के ऋण हेतु, को-लेंडिंग मॉडल के तहत, अधिवक्ताओं को सूचीबद्ध करते समय तक, बैंक के सूचीबद्ध अधिवक्ताओं की सेवाओं का उपयोग किया जाए. मंजूरी प्राधिकारी द्वारा किसी भी रियायत/छूट की अनुमति मामलों के आधार पर दी जाएगी. हालांकि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जहां एनबीएफ़सी/एचएफ़सी आंतरिक मूल्यांकक/विधिक टीम का उपयोग करता है वहाँ बैंक द्वारा एनबीएफ़सी को मूल्यांकन/कानूनी कार्य को करने के लिए कोई अतिरिक्त राशि न दी जाए. इसके अलावा, जोखिम को कम करने के उपाय के रूप में, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बैंक इस मॉडल के तहत स्वीकृत ऋणों का लगभग 5% से 10% का चयन करता है, जहां एनबीएफ़सी/एचएफ़सी द्वारा अनुमोदित एजेंसियों से कानूनी मत प्राप्त की जाती है. इस तरह के कानूनी मत की प्रामाणिकता और स्वीकार्यता के लिए बैंक के सूचीबद्ध अधिवक्ताओं द्वारा जांच की जाएगी तथा इस सुविधा को जारी रखने के लिए तिमाही आधार पर इसकी समीक्षा की जाएगी.
5.	अंतिम मंजूरी	• सॉफ्ट मंजूरी पर एनबीएफ़सी/एचएफ़सी प्रणाली के आधार पर कानूनी एवं तकनीकी सहमति पर अंतिम मंजूरी दी जाती है.	सीएलएम शाखा निर्धारित समय अवधि के भीतर मंजूरी की सूचना देगी.

6.	संवितरण	✔ डीएसटी दस्तावेज़ को निम्नानुसार पूरा करता है: ✔ उधारकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित अंतिम मंजूरी पत्र ✔ ऋण समझौता ✔ रद्द किया हुआ चेक ✔ एसीएच/ई-एनएसीएच मैंडेट फॉर्म ✔ ओपीपी (मूल संपत्ति के कागजात) ✔ बीमा, जैसा लागू हो • क्रेडिट परिचालन द्वारा संवितरण दस्तावेज़ की जांच • अंतिम भुगतान किया जाना	संवितरण एनबीएफ़सी द्वारा उधारकर्ता के साथ निष्पादित सभी दस्तावेजों/करार के साथ किश्तों में पंजीकृत असाइनमेंट विलेख की प्राप्ति के अधीन है.
7.	प्रतिभूति निर्माण	व्यक्तिगत आवास ऋण खातों/क्रेडिट सुविधा में सुरक्षा पूर्णता निम्नानुसार सुनिश्चित करें • उधारकर्ता के साथ अंतर्निहित ऋण समझौते के अनुसार, एनबीएफ़सी/एचएफ़सी के पक्ष में प्रतिभूति पर आवास ऋण हेतु लागू साम्यिक बंधक/पंजीकृत बंधक. • उधारकर्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा के भीतर एनबीएफ़सी/एचएफ़सी के पक्ष में अंतर्निहित ऋण करार का आरओसी चार्ज (जहां लागू हो) एवं सीईआरएसएआई इंटीमेशन बनायें.	प्रत्येक लेनदेन के लिए प्रतिभूति के रूप में धारित संपत्ति पर लागू ईएमजी/एमओडी के पंजीकरण का समर्थन करने वाले दस्तावेज़ प्रस्तुत किया जाना है. सीईआरएसएआई (सरसाई) के साथ चार्ज क्रीएशन को निर्धारित समय-सीमा के भीतर बैंक के समक्ष प्रस्तुत करना.
8.	बैंक के साथ जानकारी साझा करना	• आवश्यक पैरामीट्रिक जांच लागू करने के बाद, नीति के आधार पर अनुमोदित प्रारूप के अनुसार बैंक को डाटा साझा किया जाएगा.	एनबीएफसी मासिक पुनर्भुगतान, ऋण शेष, दंड शुल्क, प्रत्येक बाध्यता खातों में रखे गए अतिदेय के संबंध में डेटा साझा करेगी. एनबीएफसी ऐसे सरफेसी वसूली कार्यों से संबंधित जानकारी साझा करेगी और समय-समय पर बाध्यताओं के साथ पुनर्निर्धारण/पुनर्गठन फाइल करेगी.

		• बैंक द्वारा ड्यू डिलिजेंस के पश्चात समनुदेशन दस्तावेजों को पूरा करेंगे.	पोर्टफोलियो के निर्धारित प्रतिशत के अनुसार रैंडम आधार पर बैंक को पोस्ट ड्यू डिलिजेंस करना है.
9.	बैंक द्वारा अनुमोदित		• बैंक प्रक्रिया और पॉलिसी मानदंडों के आधार पर मामलों के अनुसार के समझौता करता है. • समझौते के अनुसार, बैंक और एचएफसी के बीच असाइनमेंट प्रलेखन निष्पादित किया जाता है.
10.	बैंक में ऑनबोर्डिंग मामले	बैंक के प्रारूप में बल्क में खाता खोलने हेतु एचएफसी डेटा क्षेत्र साझा करेगी.	बैंक और एचएफ़सी के बीच हुई सहमति के अनुसार बैंक के ब्याज दर में जोखिम के अपने हिस्से के लिए व्यक्तिगत ग्राहक खाता बनाता है.
11.	बैंक द्वारा राशि अंतरण		बैंक में ऋण खाते के अनुमोदन एवं उसके निर्माण के उपरांत, बैंक शाखा के साथ व्यवस्थित संवितरण खाते के माध्यम से एचएफ़सी को ऋण का अपना हिस्सा संवितरित करता है.
12.	चुकौती	एनएसीएच (नैच), पीडीसी, एसआई आदि जैसे विभिन्न माध्यमों से संग्रहण हेतु एनबीएफसी/एचएफसी जिम्मेदार होंगे. संवितरण के उपरांत, एचबीएफसी/एचएफसी प्रत्यक्ष रूप से संबंधित ऋण खाते में ऋण की व्यवस्था के लिए ऋण खाते के विवरण सहित आवश्यक रिपोर्ट के साथ संग्रह निलंब खाते में चुकौती/पूर्व भुगतान का हस्तांतरण आरंभ करेगी. आनुपातिक हिस्सा टी+1 आधार पर बैंक को प्रेषित किया जाएगा.	बैंक लागू व्यक्तिगत खाते में एचएफसी द्वारा साझा की गई रिपोर्ट में निर्दिष्ट मूल्यन तिथि के अनुसार प्राप्त की जानी वाली राशि की तारीख को मानेगा.
13.	संग्रहण की प्रक्रिया	बकाए मामले निम्नानुसार आवंटित किए जा रहे हैं : • कॉल सेंटर (सभी X संवर्ग मामलें) • फील्ड कलेक्शन (संवर्ग 1 और उसके अधिक) मामलों का प्रभावी संग्रह हेतु लागू ब्याज दर पर संबंधित ऋण के शेयर पर संबंधित देय राशि के अनुसार बैंक और एनबीएफसी/एचएफसी के बीच विभाजित किया जाएगा.	शाखा में बकाया राशि की वसूली से संबंधित मामलों की आवधिक समीक्षा की जाएगी. संबंधित शेयर के अनुसार संग्रहण विनियोजित किया जाएगा.

14.	ऋण का फोरक्लोजर / आंशिक भुगतान	ऋण का फोरक्लोजर • ग्राहक से ऋण खाते बंद करने के लिए अनुरोध किए जाने के बाद, एनबीएफसी/एचएफसी, बैंक की प्रणाली में उस ग्राहक के ऋण के सापेक्ष बकाया राशि साझा करने के लिए बैंक को सूचित करेगी. • एनबीएफसी/एचएफसी ग्राहक से फोरक्लोजर राशि स्वीकार करेगी तथा बकाया राशि अतिदेय की निकासी के बाद प्रक्रिया समाप्त कर देगी. • एनबीएफसी/एचएफसी बैंक को संबंधित शेयर के अनुसार निधि के अंतरण के साथ ऋण समाप्ति की सूचना भी देगी. • क्लोजर के उपरांत, एनबीएफसी/ एचएफसी संपत्ति के कागजात जारी करने की प्रक्रिया शुरू करेगी. आंशिक भुगतान • ग्राहक के अनुरोध पर, एनबीएफसी/ एचएफसी ग्राहक से आंशिक भुगतान राशि स्वीकार करेगी. खंडित अवधि का ब्याज अग्रिम रूप से एकत्र किया जाता है तथा आंशिक भुगतान मूल्य तिथि यानी बैंक खाते में क्रेडिट तिथि के आधार पर लागू किया जाता है. • एनबीएफसी/एचएफसी फंड के हस्तांतरण और पुनर्भुगतान में प्रयोज्यता के साथ आंशिक भुगतान अनुरोध के बारे में बैंक को सूचित करेगी.	बैंक ऋण खातों को बंद करने के लिए बकाया राशि साझा करेगी. भुगतान प्राप्त करने के बाद, बैंक अपने सिस्टम में ऋण खातों को बंद करेगी तथा इसकी पुष्टि एनबीएफसी/एचएफसी को करेगी. आंशिक भुगतान (ईएमआई से कम) प्राप्त करने के बाद, बैंक अपने सिस्टम में एनबीएफसी/एचएफसी से संप्रेषण अवधि के आधार पर प्रभाव प्रदान करते हैं एवं एनबीएफसी/एचएफसी को इसकी पुष्टि करते हैं. आंशिक भुगतान (ईएमआई से कम) के अनुरोध के मामले में ऋणकर्ता से अनुरोध प्राप्त होने पर, मामलों के आधार पर, बैंक के साथ ऋणकर्ता के खाते की स्थिति पर अल्प भुगतान की प्राप्तियों की नियमितता/वसूली साझा की जाएगी.
15.	आस्ति का वर्गीकरण	संबंधित विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान संबंधी आवश्यकताएं लागू होंगी.	
16.	स्लिपेज पर ऋण की वसूली	लगातार चूक के मामले में, ऐसे मामलों में, जहां एनबीएफ़सी/एचएफ़सी पूर्ण राशि हेतु बैंक एवं एनबीएफ़सी/एचएफ़सी दोनों की ओर से विभिन्न अधिनियमों आदि की विभिन्न धाराओं के तहत उपलब्ध सभी संभव वसूली विकल्पों पर कार्य करेगा. निम्नलिखित कार्रवाई के लिए संग्रहण प्रक्रिया में विधिक शामिल हैं: • डनिंग नोटिस • मांग सूचना	बैंक अपने बही में आवश्यक प्रविष्टि करेगी.

		• धारा 138 सूचना • सरफेसी कार्रवाई • 13(2) • 13(4) • सांकेतिक पजेशन की सूचना • संपत्ति पर भौतिक रूप से कब्जा • संपार्श्विक की नीलामी एनबीएफ़सी/एचएफ़सी बहियों में कब्जे की बिक्री का लेखा जोखा 100% किया जाएगा चूंकि जीएसटी देयता का भुगतान एनबीएफ़सी/एचएफ़सी द्वारा सरकार को किया जाएगा. नए खरीदार पर प्राधिकरण और कर चालान एनबीएफ़सी/एचएफ़सी द्वारा किया जाएगा. • एनबीएफ़सी/एचएफ़सी सहमत शर्तों के अनुसार बैंक को मूल बिक्री मूल्य का शेयर हस्तांतरित करेगी.	
17.	ओटीएस/ पुनर्गठन	• एनबीएफ़सी/एचएफ़सी को उन मामलों की सूची जहां ओटीएस राशि/ संशोधित संरचन सहित निर्धारित प्रारूप के ओटीएस/पुनर्गठन की आवश्यकता है. • एनबीएफ़सी/एचएफ़सी एवं बैंक की समिति ग्राहक के अनुरोध के अनुसार निर्धारित किया जाएगा. • बैठक के कार्यवृत्त को प्रलेखित एवं परिचालित किया जाना चाहिए. • अनुमोदित होने के बाद आवश्यक प्रविष्टियां निधियों की प्राप्ति के बाद व्यवस्था के अनुसार और बैंक के साथ साझा की गई निधियों के विवरण के अनुसार पारित की जाएंगी.	• बैंक एनबीएफ़सी/एचएफ़सी के साथ ओटीएस और पुनर्गठन पर निर्णय लेने के लिए समिति तैयार करेगा. • दो कार्य दिवसों में बैठक के कार्यवृत्त तैयार करना है. • एनबीएफ़सी/एचएफ़सी से सूचना मिलने के बाद सिस्टम में जरूरी बदलाव करें.

18.	टर्मिनल हानियां	निधि अनुपात के समान अनुपात में साझा किया जाएगा.	
19.	सिबिल या कोई अन्य क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्टिंग	• पूर्ण ऋण राशि हेतु ब्यूरो रिपोर्टिंग एनबीएफ़सी/एचएफ़सी द्वारा की जाएगी.	एनबीएफसी/एचएफसी बाध्यताओं वाले खातों की स्थिति के बारे में समय-समय पर सीआईसी को रिपोर्ट करेंगी.
20.	दस्तावेज़ प्रबंधन	• संवितरण के बाद दस्तावेजों को स्कैन और संग्रहीत कर शाखाओं से केन्द्रीय भंडारण भेजा जाता है. • स्कैन दस्तावेजों की पहुंच बैंक के साथ साझा की जाएगी. • भंडारण में संग्रहीत दस्तावेज़ों की सूची मिलान और नमूना जाँच आवधिक अंतराल पर होती है.	सेवा समझौते के अनुसार, अंतर्निहित ऋण दस्तावेजों के अभिरक्षा का प्रबंधन एनबीएफसी / एचएफसी को करना होगा. एनबीएफसी/एचएफसी से वचनबद्धता प्राप्त की जानी चाहिए कि बैंक द्वारा अनुरोध किए जाने पर ये दस्तावेज बैंकों के आंतरिक/बाह्य निरीक्षणों हेत् उपलब्ध कराए जाएंगे.
21.	सरसाई एवं सीकेवाईसी	• डाटा प्रतिभूति/आस्ति आईडी के साथ सृजन/प्रतिभूति की संतुष्टि के बाद बैंक के साथ साझा किया जाएगा. • सीकेवाईसी की स्थिति नियमित अंतराल पर बैंक के साथ साझा की जाएगी.	एनबीएफ़सी द्वारा सरसाई के चार्ज क्रीएशन एवं सीकेवाईसी की स्थिति समुनदेशन विलेख के निष्पादन के एक महीने के भीतर की जानी है.
22.	समाधान	यह मुख्य रूप से इससे संबंधित होगा • प्राप्य देय रिपोर्ट • बकाया ऋण • समापन और आंशिक भुगतान अतिदेय	आवश्यक परिवर्तन, बैंक द्वारा निष्पादित किए जाने वाले समाधान के दौरान पहचाने जाएंगे
23.	सांविधिक दायित्व	एनएचबी दिशानिर्देशों से संबंधित अनुपालन, जीएसटी, टीडीएस, ग्राहकों को वार्षिक ब्याज प्रमाणपत्र जारी करना, सीटीआर लेनदेन की रिपोर्टिंग के सांविधिक अनुपालन की जांच एनबीएफ़सी/एचएफ़सी के अनुपालन विभाग द्वारा किया जाएगा.	बैंक को जीएसटी/टीडीएस और ब्याज प्रभारित करने से संबंधित सभी सांविधिक दायित्वों का पालन करना होगा.
24.	ग्राहक सेवा	ग्राहक से संबंधित सभी अनुरोध/शिकायत/ संचार केवल एनबीएफ़सी/एचएफ़सी द्वारा प्रबंधित किए जाएंगे.	बैंक ग्राहक से प्राप्त किसी भी अनुरोध को एनबीएफ़सी/एचएफ़सी के नाम पर निर्देशित करेगा.
25.	देरी से किए गए भुगतान पर ब्याज	एनबीएफ़सी/एचएफ़सी ग्राहक को प्रेषण हेतु देय तिथि से 5 दिनों की छूट की अनुमति देंगे तत्पश्चात एनबीएफ़सी/एचएफ़सी ग्राहकों पर देरी के कारण दंडात्मक शुल्क लागू करेंगे.	निधि प्राप्त होने पर बैंक ग्राहक के खाते में राशि जमा कर देगा.

		दंड शुल्क की प्राप्ति पर, आनुपातिक हिस्सा बैंक के साथ विभाजित किया जाएगा.	
26.	अन्य शुल्क	अन्य सभी प्रलेखन शुल्क, सेवा शुल्क, कानूनी और तकनीकी शुल्क, स्टम्पिंग शुल्क, चेक/एनसीएच बाउंसिंग शुल्क, पीडीडी स्टोरेज शुल्क आदि केवल एनबीएफ़सी/एचएफ़सी द्वारा वसूल किए जाएंगे, क्योंकि वे एकमात्र सेवा प्रदाता होंगे. ऐसे शुल्क बैंक के साथ साझा नहीं किए जाने हैं.	अन्य शुल्क स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा अनुमति के अनुसार है.
27.	ब्याज सहायता/अनुदान	पीएमएवाई एलआईजी/एमआईजी ग्राहकों के लिए और उनकी ओर से एनबीएफ़सी द्वारा दावा किए गए और एकत्र किए गए ब्याज सबवेंशन को ऋण अनुपात के अनुसार साझा किया जाएगा.	बैंक संबंधित बाध्यताधारियों वाले खातों में ऋण अनुपात के अनुसार अनुदान राशि का उचित समंजन करेगा.
28.	टीडीएस सुविधा	एनबीएफ़सी/एचएफ़सी को भुगतान की गई ब्याज राशि पर ग्राहक टीडीएस की कटौती कर सकता है. ऐसे मामलों में एनबीएफ़सी/एचएफ़सी संपूर्ण जमा अपने हिस्से में लेगा तथा बैंक को देय राशि में संबंधित हिस्से के भुगतान को प्रभावित नहीं करेगा.	स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा अनुमति के अनुसार.

प्रक्रिया का वितरण

क्र.सं.	विवरण	ज़िम्मेदार सहभागी
1.	आवेदन सोर्सिंग	एनबीएफ़सी/एचएफ़सी
2.	केवाईसी एवं ऋण का मूल्यांकन	एनबीएफ़सी/एचएफ़सी
3.	बैंक के साथ को-लेंडिंग मॉडल के तहत मूल्यांकन हेतु सह-सहमति/पूर्व-निर्धारित मानदंडों के प्रतिकूल फ़िल्टर	एनबीएफ़सी/एचएफ़सी
4.	स्वीकृति पत्र जारी करना	एनबीएफ़सी/एचएफ़सी
5.	उधारकर्ता के स्तर पर ऋण करार	एनबीएफ़सी/एचएफ़सी
6.	निलंब खाता प्रबंधन (उदघाटन एवं संचालन का अधिकार)	खोला जाना - बैंक परिचालन का अधिकार-एनबीएफ़सी/एचएफ़सी

7.	उधारकर्ता के 100% ऋण खाते का विवरण और उसका रखरखाव	एनबीएफ़सी/एचएफ़सी
8.	ईएमआई संग्रहण हेतु एनएसीएच/ईएनएसीएच पंजीकरण	एनबीएफ़सी/एचएफ़सी
9.	पीएमएवाई सब्सिडी का दावा	एनबीएफ़सी/एचएफ़सी
10.	बंधक/प्रतिभूति ऋणभार सृजन	एनबीएफ़सी/एचएफ़सी
11.	डॉकेट एवं ओपीपी का भंडारण एवं पुनर्प्राप्ति	एनबीएफ़सी/एचएफ़सी
12.	उत्पाद के अनुसार बैंक के साथ डेटा साझा करना- डीए लेनदेन हामीदारी अंकन के लिए असाइन करने योग्य पूल	एनबीएफ़सी/एचएफ़सी
13.	डीए लेनदेन हामीदारी अंकन	बैंक
14.	डीए करार का निष्पादन	बैंक एवं एनबीएफ़सी/एचएफ़सी
15.	बिकी की राशि का संवितरण निलंब खाते के जरिए भुगतान	बैंक
16.	एचएफ़सी द्वारा साझा की गई डेटा फ़ाइल के अनुसार निधि अनुपात पर उधारकर्ता स्तर का ऋण विवरण	बैंक
17.	ईएमआई के संग्रहण को निलंब खाते में जमा करने हेतु, एनएसीएच/ईएनएसीएच दर्ज करना	एनबीएफ़सी/एचएफ़सी
18.	भुगतान प्रारूप को साझा करना	बैंक
19.	बैंक के साथ, बैंक के लिए, प्राप्त भुगतानों के रिकॉर्ड अद्यतन करने के लिए पेआउट डेटा फ़ाइल साझा करना	एनबीएफ़सी/एचएफ़सी
20.	ग्राहक सेवा	एनबीएफ़सी/एचएफ़सी
21.	संवितरण के बाद की निगरानी	एनबीएफ़सी/एचएफ़सी
22.	एनपीए/ कानूनी कार्रवाई के बाद	एनबीएफ़सी/एचएफ़सी
23.	आस्ति का पुनर्निर्माण	एनबीएफ़सी/एचएफ़सी
24.	मासिक खातावार पुनर्निरीक्षण/ प्रश्नों के समाधान	एनबीएफ़सी/एचएफ़सी
25.	ऋण गारंटी दावे/बीमा दावे	एनबीएफ़सी/एचएफ़सी

वाणिज्यिक

बैंक द्वारा प्राप्त ब्याज दर	___ %
प्रसंस्करण शुल्क	_____
बैंक द्वारा देय सेवा कर	_____% या वास्तविक आकड़े
अन्य सेवा कर	

अवधि और समाप्ति

- जब तक सभी देय राशियों की वित्तीय दस्तावेजों की शर्तों के अनुसार वसूली नहीं की जाती है, तब तक प्रक्रियाएँ पूरी तरह से और प्रभावी रूप से जारी रहेंगी.
- जब तक बैंक एनबीएफसी/एचएफसी सेवा प्रदाता के रूप में अपने दायित्व को समाप्त करने के लिए 3 महीने की पूर्व सूचना नहीं देता है तब तक एनबीएफसी/एचएफसी का सेवा प्रदाता के रूप में, अपनी क्षमता में, बैंक के लिए और उसकी ओर से बकाया राशि के प्रबंधन, संग्रह और प्राप्त करने और अन्य सेवाओं को प्रदान करने के संबंध में एक निरंतर दायित्व होगा.

<u>कारोबारी निरंतरता</u>

को-लेंडिंग को प्रभावित करने वाली किसी भी विघटनकारी/अप्रत्याशित घटना के मामले में बीसीपी के मार्गदर्शक सिद्धांत निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए निर्मित होंगे:

विवरण	उधारकर्ता स्तर	ऋणदाता स्तर
I. नीति	दोनों संस्थाएँ ग्राहक रिकॉर्ड, डेटा रिकॉर्ड बैकअप की सुरक्षा और रिकॉर्ड और डेटा को पुनः प्राप्त करने की क्षमता हेतु मजबूत बीसीपी होने की घोषणा करती हैं.	सीएलएम मास्टर समझौते के समाप्त होने के बावजूद, दोनों ऋणदाता सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि इस सीएलएम करार के तहत उत्पन्न प्रत्येक ऋण को पूरी तरह से चुकाने या निपटाने तक एनबीएफसी / एचएफसी द्वारा उधारकर्ता को सेवा प्रदान की जाएगी.
II. कार्यान्वयन	अपनी बीसीपी रणनीति के तहत सह-ऋण देने वाले ग्राहकों को सेवा प्रदान करने के लिए डिजिटल/वेबसाइट/टेली विधियों आदि सहित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, मौजूदा परिपत्र के अनुसार ग्राहक सेवा के लिए वैकल्पिक दूरस्थ कार्य तंत्र के लिए प्रावधान किया गया है.	दोनों ऋणदाता एतद्द्वारा यह कहते हैं और प्रमाणित करते हैं कि उनकी बीसीपी योजना का परीक्षण आंतरिक नीतियों के अनुसार सफलतापूर्वक किया गया है.
III. प्रभाव	बीसीपी लागू होने की स्थिति में आवश्यक होने पर ग्राहकों को वैकल्पिक स्रोतों/आपातकालीन संपर्कों के बारे में सूचित किया जाएगा.	लागू नहीं

<u>विविध</u>

- एनबीएफसी/एचएफसी अपने समान अनुबंधों के अपने पोर्टफोलियो के संग्रह प्रयासों और क्रेडिट सुविधाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई में कोई अंतर नहीं करेगा.
- इन प्रक्रियाओं में कोई आशोधन, परिवर्तन या संशोधन तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि पार्टियों द्वारा या उनकी ओर से हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं.
- प्रक्रियाएं ऋणकर्ता होंगी, और बैंक और एनबीएफसी/एचएफसी और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों और समनुदेशितियों के लाभ के लिए सुनिश्चित होंगी;

- यदि प्रक्रियाओं की शर्तों के अनुसार, किसी भी कार्य को ऐसे दिन पर या कार्य के दिन समाप्त होने वाली अवधि यदि कार्य दिवस नहीं है, निष्पादित करने की आवश्यकता होती है, तो इसे तुरंत अगले कार्य दिवस पर या उसके द्वारा निष्पादित किया जाएगा.
- निधियों के अंतरण के लिए कोई भी शुल्क एनबीएफसी/एचएफसी द्वारा वहन किया जाएगा.

नोट: सांकेतिक मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) में परिभाषित मापदंडों को दोनों पक्षों यानी बैंक और एनबीएफसी/एचएफसी की आपसी सहमति से मास्टर समझौते का हिस्सा बनाया जा सकता है. यह भी ध्यान दें कि एसओपी केवल सांकेतिक प्रकृति का है. पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के आधार पर बैंक और एनबीएफसी/एचएफसी द्वारा किसी भी संशोधन/परिवर्तन को अपनाया जा सकता है.

भाग बी: बैंक और एनबीएफसी/एचएफसी द्वारा गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को को-लेंडिंग पर नीति

23. बैंकों और एनबीएफसी/एचएफसी द्वारा गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को को-लेंडिंग पर दिशानिर्देश

23.1. बैंकों और एनबीएफसी/एचएफसी द्वारा गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को को-लेंडिंग पर दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं:

i. बैंकों और एनबीएफसी/एचएफसी द्वारा गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को को-लेंडिंग पर मौजूदा नीति दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक को-लेंडिंग मॉडल के तहत गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हेतु वित्तपोषण आरंभ करेगा.

ii. वित्तपोषण सुविधा सभी मौजूदा विवेकपूर्ण विनियमों के अनुपालन के अधीन होगी, जिसमें ऋण जोखिमों का हस्तांतरण, वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग, केवाईसी, सीआईसी को रिपोर्ट करना आदि शामिल हैं, जो सभी भाग लेने वाली संस्थाओं पर लागू होते हैं.

iii. गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को को-लेंडिंग मॉडल के तहत वित्तपोषण हेतु, ऋण जोखिमों के हस्तांतरण और मानक संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण पर मौजूदा नीति में परिभाषित न्यूनतम होल्डिंग अवधि (एमएचपी) लागू होगी.

iv. न्यूनतम होल्डिंग अवधि का विवरण नीचे दिया गया है:

हस्तांतरणकर्ता न्यूनतम होल्डिंग अवधि (एमएचपी) के बाद ही ऋण स्थानांतरित कर सकता है, जिसकी गणना भारतीय सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया (सीईआरएसएआई) के साथ अंतर्निहित सुरक्षा ब्याज के पंजीकरण की तिथि से की जाती है:

- 2 वर्ष तक की अवधि वाले ऋणों के मामले में तीन महीने;
- 2 वर्ष से अधिक अवधि के ऋण के मामले में छह महीने.

बशर्ते कि ऋण के मामले में जहां प्रतिभूति मौजूद नहीं है या प्रतिभूति सरसाई के साथ पंजीकृत नहीं हो सकती है, एमएचपी की गणना ऋण की पहली चुकौती की तारीख से की जाएगी.

बशर्ते कि परियोजना ऋणों के हस्तांतरण के मामले में, एमएचपी की गणना वित्तपोषित परियोजना के वाणिज्यिक संचालन के प्रारंभ होने की तिथि से की जाएगी.

बशर्ते कि एक हस्तांतरणकर्ता द्वारा अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण के मामले में, ऐसे ऋणों को हस्तांतरणकर्ता की बही में ऋण लेने की तारीख से छह महीने पूरे होने से पहले स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है.

v. गैर-प्राथमिकता श्रेणी के तहत एकल संपत्ति (ऋणकर्ता के नाम पर ऋण) का अधिकतम मूल्य निम्नानुसार होगा:

विवरण	कीमत* (एकल संपत्ति की अधिकतम ऋण राशि)
आवासीय ऋण	रु. 10.00 करोड़
संपत्ति पर ऋण- एलएपी (एमएसएमई के अंतर्गत वर्गीकृत को शामिल करते हुए)	रु. 5.00 करोड़
अन्य खुदरा ऋण	रु. 5.00 करोड़
एमएसएमई अग्रिम (एमएसएमई के तहत वर्गीकृत एलएपी को छोड़कर)	रु. 5.00 करोड़ (मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार वर्गीकृत)
अन्य ऋण	कोई अधिकतम निश्चित मूल्य नहीं

*मूल्य का अर्थ कट-ऑफ तारीख के समय ऑरिजिनेटर के बही में बकाया राशि होगी.
*इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऋणकर्ता के नाम पर ऋण, पूल के कुल मूल्य के 5% तक सीमित रहेगा.

23.2. शिक्षा ऋण: को-लेंडिंग मॉडल के तहत शिक्षा ऋण के लिए, बिंदु संख्या 23.1 में उल्लिखित दिशानिर्देश लागू होगा. शिक्षा ऋण के मामले में, जहां प्रतिभूति मौजूद नहीं है या प्रतिभूति सरसाई के साथ पंजीकृत नहीं की जा सकती है, न्यूनतम होल्डिंग अवधि (एमएचपी) की गणना ऋण के ब्याज की पहली चुकौती की तारीख से की जाएगी.